Title: Regarding approval of proclamation by President in relation to the State of Goa. Motion for Consideration - adopted

1432 hrs

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

'ि यह सभा गोवा राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा १० फरवरी, १९९९ को जारी की गई उदघोषणा का अनुमोदन करती है।'

अध्यक्ष जी, मैं धारा ३५६ के अधीन पहली बार सदन में इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आरम्भ में हमारी सरकार का यह मत रहा कि संविधान के उस अध्याय का यह प्रावधान जिसे इमरजेंसी प्रोवीज़न कहते हैं, इसका कभी भी राजनैतिक कारणों से दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिये। स्वयं डा. अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस बात को स्वीकार किया था कि इसकी संभावना रहेगी। उन्होंने कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं होगा लेकिन जिस प्रकार से इसका उपयोग विगत वर्षों से हो रहा है, उसके कारण सरकारिया कमीशन बना तो उसने बड़ी गहराई में जाकर इसका विश्लेषण किया कि कितनी बार इसका उपयोग हुआ और कितनी बार इसका उपयोग विशुद्ध कारणों से हुआ। फिर उन्होंने अपनी सिफारिशें दीं। यह बताया कि इस बात की सावधानी बरतनी चाहिये। मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा कि सरकारिया कमीशन ने ब्रेक डाउन ऑफ कांस्टीटयुशनल मशीनरी की व्याख्या करते हुये पेज १७१ पर कहा है:

"A failure of constitutional machinery may occur in a number of ways. Factors which contribute to such a situation are diverse and imponderable. Even so, some instances of what does and what does not constitute a constitutional failure within the contemplation of this article may be grouped and discussed under the following heads:..."

मैं उनके हैडिंग पढ़कर सुनाता हूं:

"i) political crisis;

ii) internal subversion;

iii) physical breakdown; and

iv) non-compliance with constitutional directions of the Union Executive."

मैं जब आगे चलकर बिहार के संदर्भ में इसी प्रकार का प्रस्ताव रखूंगा तब शायद मुझे इंटरनल सबवर्शन और फिज़िकल ब्रेकडाउन की चर्चा करनी पड़ेगी।

आज गोवा का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि शायद पिछले पचास सालों के इतिहास में ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं हुआ होगा जिसमें सरकारी पार्टी भी और विरोधी पार्टियां भी सब मिलकर इस प्रकार की सिफारिश करें जैसी उन्होंने गोवा के संदर्भ में की। सामान्यतः मैं मानता हूं कि हरेक लोक सभा का सदस्य या हरेक विधान सभा का सदस्य हमेशा चाहता है कि उसका पांच साल का कार्यकाल पूरा हो। वह कभी नहीं चाहता कि उसका कार्यकाल बीच अवधि में काट दिया जाए और यहां ऐसी स्थिति पैदा हुई कि जहां सदन के ४० सदस्यों में से ३६ ने जाकर यह सिफारिश की कि आप हमारा कार्यकाल समाप्त करिये। चाहे उसमें अभी समय पड़ा था, आठ-दस महीने पड़े थे, मगर उन्होंने कहा कि आप इसे समाप्त करिये और यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करके चुनाव करवा दीजिए। इसलिए मैं मानता हूं कि

This is a classic case. It is a kind of textbook case of the President's Rule, which is not even a matter of controversy.

कहीं विवाद का भी विषय नहीं है।

सदन को जानकारी होगी कि गोवा विधान सभा के चुनाव १९९४ में हुए थे। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। किन्तु कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी और इसीलिए राज्यपाल ने कांग्रेस पार्टी के नेता श्री प्रताप सिंह राणे को आमंत्रित किया, उनका मंत्रिमंडल गठित किया और उनसे कहा कि एक महीने के भीतर आप अपना बहुमत प्रमाणित करें। दिसम्बर के महीने में यह बात हुई और जनवरी के महीने में एक और डेवलपमेंट हुआ कि वहां की एक प्रमुख विपक्षी पार्टी महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के चार एम.एल.एज़ ने अपनी पार्टी से अलग होकर एक नयी पार्टी बनाई और कहा कि हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे। इसीलिए जब १६ जनवरी १९९५ को सदन में मतदान हुआ तो श्री प्रताप सिंह राणे को बहुमत प्राप्त हुआ और राणे जी औपचारिक रूप से मुख्य मंत्री के रूप में अपना बहुमत प्रमाणित कर सकें। तीन-साढ़े तीन साल तक यह शासन चला। उस शासन की मीमांसा करने का कोई प्रसंग नहीं, कारण भी नहीं, लेकिन १९९८ में जुलाई के महीने में कांग्रेस पार्टी के दस एम.एल.एज़ ने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी से अलग होते हैं और गोवा राज्य कांग्रेस पार्टी के नाम से एक नयी पार्टी का गठन करते हैं।

उनके नेता डॉ. विलफ्रेड डिसूज़ा चुने गए और उन्होंने जाकर राज्यपाल को कहा कि जो राणे जी की सरकार थी, वह बहुमत खो चुकी है और इसीलिए आप हमारी सरकार बनाइए। राज्यपाल ने स्वाभाविक रूप से जो उन्हें करना चाहिए था, उन्होंने कहा कि आप सदन में प्रमाणित करिये और सदन में परीक्षण हुआ जिसमें राणे जी की सरकार हार गई और उसके बाद डॉ.विलफ्रेड डिसूज़ा की सरकार बनी। यह जुलाई १९९८ की बात है। जुलाई के बाद अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर तीन महीने वह सरकार चली होगी। नवम्बर के महीने में गोवा राज्य कांग्रेस पार्टी में से चार एम.एल.एज़ ने अलग होकर कहा कि हम विपक्ष कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। इनका बहुमत खत्म हो गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने जाकर दावा किया कि हमारी पार्टी का बहुमत है, हमारी सरकार बना दीजिए। फिर प्रतापसिंह राणे तो नहीं आए, लेकिन लोज़ियानो फैलीरो के नेतृत्व में एक नयी सरकार फिर से बनी। यह सरकार २६ नवंबर को बनी। दिसंबर और जनवरी दो महीने बीते तो फरवरी के आरंभ में फैलीरो मंत्रिमंडल के दो मंत्रियों ने जाकर राज्यपाल को कहा कि हम इस पार्टी से अलग हो रहे हैं और वापस फिर से डा.विलफ्रेड डिसूज़ा को सपोर्ट कर रहे हैं।

यह तमाशा लगातार इन ४-६ महीनों में होता रहा, जिसके परिणामस्वरूप राज्यपाल सोच ही रहे थे कि क्या उनको कहें कि आप बहुमत प्रमाणित करिये या क्या करें। ८ फरवरी को श्री फैलेरियो, जो उस समय मुख्य मंत्री थे, उनके पास चले गये और अपना त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देकर कहा कि न केवल मैं त्यागपत्र दे रहा हूं, लेकिन कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी ने प्रस्ताव करके कहा है कि आप सदन को भंग करिये और शीघ्रातिशीघ्र चुनाव करवाइये। यह प्रस्ताव उन्होंने लिखित में दे दिया। राज्यपाल को जो करना चाहिए उन्होंने वह किया और वह सब फिर से मैं आपको पढ़कर सुनाऊं कि पोलिटीकल क्राइसिस किसको कहते हैं। उसमें उन्होंने दूसरे पैरा में कहा है कि पोलिटीकल क्राइसिस उसे कहा जाए, जिसको कांस्टीटयूशनल ब्रेक डाउन भी कहा जा सकता है -

"If a Ministry resigns or is dismissed on loss of its majority support in the Assembly and no alternative Government commanding the confidence of the Assembly can be formed."

यह सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट है। राज्यपाल ने सभी पार्टियों को बारी-बारी बुलाया। उन्होंने महाराष्ट्रवादी गोमान्तक पार्टी को बुलाया, भाजपा को बुलाया और उन्होंने गोवा राजीव कांग्रेस को भी बुलाया, जिसने पहले सरकार बनाई थी और बारी-बारी करके सब लोग मिले और सबने लगभग एक मत से, कुछ-कुछ मतभेद थे, लेकिन लगभग एक ही मत से, जिसमें कुल मिलाकर जो रिपोर्ट राज्यपाल ने हमारे भेजी, उसके अनुसाकर ४० सदस्यों में से ३६ सदस्यों ने इस बात की पुष्टि की कि अब कोई सरकार नहीं बन सकती। अब किसी का बहुमत नहीं होगा। अच्छा होगा नई विधान सभा का गठन किया जाए और प्रदेश को राष्ट्रपति शासन के अधीन किया जाए। उसके बाद राज्यपाल ने हमें रिपोर्ट भेजकर सिफारिश की और कहा कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। केन्द्र में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उस बैठक में इन सब बातों पर विचार किया। उसमें विवाद का विषय जिस पर हमें विचार करना पड़ा, वह यह था कि इस बीच में बोम्मई का जजमैंट हुआ था जिसमें एक बात कही गई थी कि राष्ट्रपति को किसी सदन को भंग करने का अधिकार नहीं है, जब तक संसद पहले उसे स्वीकार न करे। इसके अपने कुछ लीगल इम्पलीकेशंस हैं और मैं चाहूंगा कि लीगल इम्पलीकेशंस सॉर्ट आउट हो जाए, कोर्ट द्वारा हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन हम उसके अनुसार चल रहे हैं, हमने विचार किया और विचार करके हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह एक नये प्रकार का केस है जिसमें विधान सभा के सभी सदस्यों ने नियर यूनानिमिटी से कहा है कि भंग करो, डिजॉल्व करो। इसके लिए भी हमने चिंता की थी,अगर अभी लीगली स्टिकली इंटरप्रिट करते हुए बोम्मई के निर्णय को हम कहें कि पहले इसको भंग करे, इसको अंडर सस्पेंडिड एनीमेशन में रखें तो इस बात की पूरी संभावना है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो। वहां के बारे में पहले भी ऐसी शिकायतें हुई थीं। लेकिन इन सब बातों को ख्याल में रखते हुए राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल ने जो सिफारिश की, वह सिफारिश आपके सामने है और वह यह थी कि आज की स्थिति में उचित होगा कि विधान सभा को भंग किया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और शीघ्रातिशीघ्र चुनाव की व्यवस्था करवाई जाए। इस दृष्टि से राज्यपाल जब पिछले दिनों यहां आये थे तब उन्होंने चुनाव आयोग से भी बात की थी और राष्ट्रपति जी ने जब इसकी सम्पुष्टि की तब प्रोक्लेमेशन जारी हुआ और आज वह प्रोक्लेमेशन सदन के अनुमोदन के लिए मैं लोक सभा में लेकर आया हूं और राज्य सभा में भी ले जाऊंगा। मैं चाहूंगा सदन इस पर अपने विचार व्यक्त करें। राष्ट्रपति शासन लागू करने की स्थिति कहां-कहां आ सकती है, उसमें यह एक क्लासिक केस है जिसको निश्चित रूप से

political crisis which amounts to a break down of the constitutional machinery

कहा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, संविधान के निर्देश के अनुसार प्रोक्लेमेशन की एक प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखी गई है और परम्परा के अनुसार लोक सभा में राज्यपाल की जो रिपोर्ट है, वह भी रखी जाती है, इसलिए वह भी प्रस्तुत की गई है। मैं सदन से सिफारिश करता हूं कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करे।

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That this House approves the Proclamation issued by the President on the l0th February, l999 under article 356 of the Constitution in relation to the State of Goa."

The time allotted is two hours.

>SHRI K.S. RAO (MACHILIPATNAM): Sir, I heard the hon. Home Minister taking trouble in explaining how genuine it was to invoke the article 356 for imposing the President's rule in Goa.

I was present physically hearing this hon. Home Minister Shri Advani as an Opposition leader during the tenure of the Congress Government in the Centre. The tone is different, the argument is different and the postures are different now. In those days, as an Opposition leader or as a leader of the BJP, the moment article 356 was used

by the Congress Government in any State, the vigour, the vehemence, the anger and the argument used were totally different in finding fault with them. Not only that. Even on several aspects, on the moral aspect, on the legal aspect, on the constitutional aspect and on the matter of breakdown, even when there was a genuine reason for the Government to impose the President's rule using article 356, they used to make political capital out of it.

The Congress Government was always of the opinion that using article 356 for genuine reasons was correct. Today, simply because we are sitting in the Opposition, we do not want to speak in the same way as Shri Advani used to speak as a leader of the Bharatiya Janata Party.

But as he explained, though every Member of Parliament or a Legislative Assembly would like to continue his five year term, in this particular case almost all the Members of the Legislature had expressed their desire for the dissolution of the Assembly. We agree.

The point here is why is this happening? Keeping this in mind, the Anti-Defection Bill was contemplated by Shri Rajiv Gandhi as the Prime Minister in those days. It was only at the behest of Shri Rajiv Gandhi that it was introduced. We had discussed the Anti-Defection Bill in detail. We did find some lacunae in the Anti-Defection Bill in those days also. But we thought that by applying the Anti-Defection Bill over a period we would identify the lacunae and review the Anti-Defection Bill to avoid such incidents of changing of parties and changing of governments on personal considerations and personal benefits and party benefits leaving the national benefit and the benefit of the people going haywire.

While my party is not against utilising this article 356 in Goa, I do not find any reason why the same thing is applied in Bihar. He explained that the Rane Government and also the Faleiro Government were given enough opportunity to prove their majority by asking for a Special Session to be conducted, but the same thing is not applied in Bihar for convening a Special Session of the Assembly to prove the majority of the Chief Minister there.

The Chief Minister has got the courage to accept this, convene the Assembly and prove his majority also in the Assembly in spite of the best efforts of the Opposition parties to defeat him. In a democratic set-up, they may be elected in whatever manner but with the same rules and regulations formed by all of us. The Election Commission is watching the performance of different parties in the elections. With the Election Commission not finding any fault in the elections, when the legitimate legislators who are elected and who once again are found fault at the behest of the Central Government by way of the Governor, proved the majority, there was no justification for the hon. Home Minister to use his standards in a different way in different States as he himself said, `there cannot be one rule in one State and another rule in another State.' It cannot be applied because a particular party wants or does not want it in a particular State. There should not be two standards. Shri Advani, till before the BJP Government came to power at the Centre in Delhi, there was some opinion among the people throughout the country that you might be a different lot. But your behaviour in U.P, your attitude and the application of the same article, same Constitution, same guidelines and everything including the guidelines of Sarkaria Commission was totally different, and, it is already understood by the people of this country.

As a Member of Parliament from Andhra Pradesh, I know very well the basic facts of the BJP which is almost non-existent in Andhra Pradesh. But some people who are supporting Telugu Desam and some others who are supporting Congress are not happy with both the Congress and TDP as well. They have felt that why do we not try this time BJP though the BJP by itself has no base to win a maximum or even a considerable number of seats in Andhra Pradesh. So far, it has won four seats out of 42. It is because of your sermons, of your speech on the moral values, ethics, Constitution guidelines and all that, all these years, the same people thought that, maybe, you would do something else other than what Congress has done all these years. (Interruptions) What else to speak? Shall I speak as you want?

They have put some words to you in Andhra Pradesh. But, today in Andhra Pradesh, the same youngsters who have felt that you are a different lot are not with the BJP. Not even one per cent is with the BJP. They realise BJP is no party in ruling which can fit into the administration. They might be good at sitting as the Opposition party but certainly not good in administration and in ruling. That is the reason, why today in Andhra Pradesh, the BJP has gone back to... (Interruptions)

श्री राजवीर सिंह (आंवला): आप अपने विषय पर बोलिये।

... (व्यवधान)

आप क्यों सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, आप इनसे कहिये कि यह विषय पर बोलें।

... (व्यवधान)

SHRI K.S. RAO (MACHILIPATNAM): Let me complete. Let me formulate. They have already understood. (Interruptions) It has no use at all. In regard to Goa, the Congress Government is also of the opinion that the situation is very ripe where Article 356 has to be used, and it is used there. We are not against it. It is not that we are opposing that. But you should not apply the same thing for your political ends. The same thing what you have said was said by Shri Ambedkar. He said that it should not be misused for political ends. You are doing the same thing. What you are doing is different from what you have spoken. It is totally different then and now also, except that the tone is different, the argument is different.

What you are speaking today is totally different from what you have been speaking earlier. Not in this case but what you did in regard to Bihar is unconstitutional and unethical. It was not proper for you to think in the same way. Earlier, in similar situations when the Congress did the same thing, you just did not allow the House to proceed. You did the same thing. So, you should not find fault with the Congress party simply because it is now in the Opposition and you are the ruling party. Same yardstick, same values, same morals must apply irrespective of whether you are in the Opposition or you are ruling...(Interruptions).

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): आप बिहार को कब से जानते हैं?

... (व्यवधान)

इसीलिए बिहार में सफाया हो गया।

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: No running commentary please.

SHRI K.S. RAO : Does Advaniji say that article 356 must be applied everywhere, wherever there is an incident by some hooligans, not at the behest of the Government there but for various reasons?...(Interruptions). There are umpteen number of incidents of massacre taking place in other States also. In Andhra Pradesh, even today people are getting killed mercilessly...(Interruptions).

AN HON. MEMBER: You speak on Goa.

SHRI K.S. RAO : I am speaking on Goa only. I am just telling you about the way in which the party in Government is speaking now. In Andhra Pradesh, there are several incidents where people have been killed in broad day light...(Interruptions).

MR. SPEAKER: Shri Rao, we are discussing Goa and Bihar separately. Please keep that in view.

SHRI K.S. RAO : I am talking on the same subject, Sir, I am not talking about different things...(Interruptions).

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): आप लाभ पहुंचा रहे हैं तो उस लाभ को हम ग्रहण कर रहे हैं। इसमें क्या ऐतराज है।

SHRI K.S. RAO : The hon. Speaker got upset when I raised the Andhra Pradesh issue. In Andhra Pradesh also people are getting killed mercilessly in the name of some organisation, in the name of some incident, but you are not thinking in the same terms of applying article 356 in Andhra Pradesh and pulling down the Government. Are you ready to do that?... (Interruptions). The same is the case with Maharashtra. So, my humble request to the hon. Home Minister is that it is not in this particular case of Goa that we are opposing you, but you must apply the same standard everywhere. You must apply the same yardstick, same values, same ethics...(Interruptions). You will explain the same thing in respect of Bihar, I shall explain the same thing in respect of Andhra Pradesh and Maharashtra. Are you prepared to apply article 356 in every State? What shall we do? For the same situation, the Central Government did not do even this much. What are we to do about the Central Government's responsibility? Has the Central Government got a moral right to continue with the same incidents happening everywhere in other States? Is it only a particular State to be victimised? And for what reason? Is it not for political gain? Is it not at the instance of some of your allies insisting that this Government should be demolished right from the beginning? I am talking about Bihar.

AN HON. MEMBER: You speak on Goa.

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : इनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं।

SHRI K.S. RAO : When you speak on Goa, do you speak only the term `Goa' and no other term? Are you prepared to speak only Goa, Goa, Goa, and nothing else?

MAJOR GENERAL BHUVAN CHANDRA KHANDURI, AVSM (GARHWAL): Shri Rao, your party insisted that we should discuss Goa and Bihar separately. Now you are combining the two.

SHRI K.S. RAO : When I speak of application of article 356 in Goa, let me also tell you how it is applied elsewhere. Let me tell you about what you have done in the past, about what you have expressed in the past, about what slogans you used earlier. At least for your awakening I must do that. I must remind you about what you have spoken in the past. It is not just what the Minister spoke today. Yes, he spoke in a very humble way, in a very pleasant manner, in a very reasonable manner...(Interruptions).

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Shri Rao, should I remind you about what you did to Shri Rama Rao? He was also a Chief minister. Shall I remind you about how you ousted him?...(Interruptions)

15.00 hrs.

SHRI K.S. RAO : All that I wish to say is that the hon. Home Minister ....(Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN I can also remind him of what they did against Shri Rama Rao in Andhra Pradesh. They also did the same thing in Andhra Pradesh. ....(Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Swain, please do not disturb him.

SHRI K.S. RAO : I remember the eloquence with which Advaniji spoke in those days. But the same reson, same values, same ethics, same Constitution and the words of same Dr. Ambedkar must be applied in a genuine way, with the same yardstick. I am of the firm opinion that they are not applying them in every State in the same way while we support and have no objection to their applying Article 356 and imposing President's Rule in Goa. Thank you very much.

>

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़): अध्यक्ष जी, मैं गोवा में धारा ३५६ के अन्तर्गत जो राष्ट्रपति जी ने आदेश जारी किया है और जिसके अनुमोदन के लिए माननीय गृह मंत्री जी ने अपना प्रस्ताव इस सदन के सामने रखा है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय आडवाणी जी ने अपने इस प्रस्ताव को रखते हुए गोवा के राजनैतिक घटनाक्रम के सम्बन्ध में बहुत शॉर्ट में सारी घटनाओं को हमारे सामने रखा। पिछले तीन-चार साल के दौर में गोवा के अन्दर कांग्रेस पार्टी, जिसे लोगों ने चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं दिया था, परन्तु इस पार्टी ने कुछ इधर से, कुछ उधर से जोड़-तोड़ करके सरकार चलाने की कोशिश की और वे सरकार चलाने में कामयाब नहीं हो पाये। इन्होंने कभी एक तरफ से एम.एल.एज़. तोड़े, कभी दूसरी तरफ से एम.एल.एज़. तोड़े, लेकिन अन्त में स्थिति यहां तक आ गई कि ४० में से ३६ विधायकों ने आकर स्वयं राज्यपाल से कहा कि राज्यपाल महोदय, यह विधान सभा नहीं चल पाएगी, इस विधान

1502 hrs. (Shri P.C. Chacko in the Chair)

सभा को भंग कर दिया जाना चाहिए। राज्यपाल महोदय ने जो अपनी रिपोर्ट सेंटर को भेजी है, उस रिपोर्ट में विस्तार के साथ उन्होंने उस सारे घटनाक्रम का जिक्र किया है।

मुझे खुशी है कि राव साहब, जो अभी कांग्रेस की तरफ से बोलकर हटे हैं, वे अपने उन विधायकों से, अपनी पार्टी की यूनिट से सहमत हैं। क्योंकि आजकल कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई यह विश्वास से नहीं कह सकता कि अगर उनकी राज्य की यूनिट अपनी विधान सभा को भंग करने का समर्थन करे या सरकार को भंग करने का समर्थन करे तो यहां से भी उसका समर्थन होगा, बिहार हमारे सामने उसका उदाहरण है। जब वे बोलने लगे तो बहुत उत्सुकता के साथ मैं उनका भाषण सुन रहा था कि बिहार की तरह कहीं यहां भी वे पलटी न खायें। बिहार की अपनी यूनिट को नजरअंदाज करते हुए जैसे आपने बिहार में विरोध करने का निर्णय लिया है, शायद गोवा के सम्बन्ध में भी आपका निर्णय दूसरा होता। पर मुझे खुशी है कि आप कम से कम अपनी गोवा यूनिट के साथ तो सहमत हैं।

आपने बड़े अच्छे प्रश्न रेज़ किये हैं, मुझे खुशी है, राव साहब, आपने बोला और आडवाणी जी को याद दिलाया कि आडवाणी जी, जब आप वहां बैठा करते थे तो आपकी भाषा कुछ और होती थी। अच्छा होता यदि आपने उनके बयान ध्यान से पढ़े होते। जब से यह सरकार आई है, माननीय आडवाणी जी ने अपने भाषण के शुरू में कहा, शायद पहला धारा ३५६ के अन्तर्गत हमारा प्रस्ताव आया है और वह प्रस्ताव भी उस राज्य से आया है, जहां ४० में से ३६ विधायकों ने स्वयं लिख कर दिया, स्वयं लिखकर कहा कि इस विधान सभा का कोई प्रसंग बाकी नहीं रह गया है, इसको भंग कर दिया जाना चाहिए।

SHRI K.S. RAO : This is the first time that they have come in the Government. So, it cannot be other than using this Article for the first time. ....(Interruptions)

MR. CHAIRMAN (SHRI P.C. CHACKO): Please do not disturb him.

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़): जरा ध्यान से सुनिये, आराम से सुनिये।

सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न तो धारा ३५६ का आज तक दुरुपयोग किया है, न कर रही है, न कहीं आगे करेगी। हमने तो धारा ३५६ का अगर राजनैतिक हितों के लिए प्रयोग करना होता तो बहुत देर पहले करके अपनी कई राजनैतिक दिक्कतों से, परेशानियों से बचकर हम निकल सकते थे। यह भारतीय जनता पार्टी का कन्विक्शन है, अटल बिहार वाजपेयी सरकार का कन्विक्शन है, लाल कृष्ण आडवाणी का कन्विक्शन है, हमने धारा ३५६ का दुरुपयोग नहीं किया और आज आप हमें ३५६ के दुरुपयोग के बारे में बताना चाहते हैं। आप हमें बताना चाहते हैं? किसी और पार्टी के सदस्य ने, किसी नई पार्टी के मैम्बर ने अगर जिक्र किया होता तो मेरी समझ में बात आ सकती थी। ९० बार आपकी सरकार ने ३५६ का दुरुपयोग किया।

SHRI K.S. RAO : We are not against using Article 356, but when we were using it, they were preaching sermons. Now, they themsleves are using Article 356. ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No cross-talk. Order please.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb Shri Jain.

श्री सत्य पाल जैन : श्री सोमनाथ चटर्जी उनको हमारी भाषा के बारे में याद दिला रहे थे। मैं कम्युनिष्ट भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहले धारा ३५६ की शिकार आपकी नम्बूदरीपाद की सरकार केरल में १९५६ में हुई थी और तब आप उसके खिलाफ बोले थे।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): He need not advise us. He should advise his government.

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़): आज आप बिहार में उन्हीं ताकतों के साथ मिलकर दूसरी बात करना चाहते हैं, जिन्होंने धारा ३५६ का दुरुपयोग शुरू किया था। आप उनके साथ मिलकर आज उन्हीं ताकतों को मजबूत करना चाहते है।

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसलिए सोमनाथ चटर्जी साहब, ये वही ताकतें हैं जिनका आप समर्थन करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसका दुरूपयोग नहीं किया और आप राव साहब हमसे इसका जिक्र करना चाहते हैं। ६ दिसम्बर, १९९२ को घटना तो उत्तर प्रदेश में हुई थी, हिमाचल प्रदेश में तो एक पत्ता भी नहीं हिला था। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कुछ नहीं हुआ था। वहां की सरकारें राज्यपालों से रिपोर्ट मंगा-मंगाकर आपने एक घंटे के अंदर डिसमिस की थीं। आज आप बिहार में जो दलितों की हत्या हुई है, उसका जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने वहां धारा ३५६ लगाई है इसलिए हम इसका विरोध करना चाहते हैं। बरनाला साहब यहां बैठे हैं, जब ये पंजाब के मुख्य मंत्री थे तो वहां एक बस से कुछ लोगों को उतारकर मारा गया था। स्वयं आपकी सरकार ने बरनाला साहब की सरकार डिसमिस की और राष्ट्रपति राज लागू किया था। आज आप हमें बताना चाहते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की उचित भूमिका नहीं है। इसको अलग-अलग दृष्टिकोण से न देखें।

मैं गोवा के सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूं। वहां के स्पीकर के पास दो बार डिफेक्शन का मामला आया। गोवा के साथ एक और मामला जुड़ा हुआ है, वह एंटी डिफेक्शन एक्ट का मामला है। हमने वहां के राज्यपाल की रिपोर्ट पढ़ी है। वहां के स्पीकर ने जिस तरीके से एंटी डिफेक्शन एक्ट के अंदर एक स्टेज के ऊपर आकर कुछ विधायकों को बिना नोटिस दिए, बिना ट्रायल किए डिसक्वालिफाई किया, उसमें सवाल एक पार्टी का नहीं है। आज स्पीकर एक पार्टी का हो सकता है, विधायक डिसक्वालिफाई दूसरी पार्टी के हो सकते हैं। कल किसी और पार्टी का स्पीकर हो सकता है। यह बेसिक प्रश्न हमारे सामने ख़ड़ा होता है कि क्या कोई ि वधान सभा का स्पीकर या लोक सभा का स्पीकर खुद एंटी डिफेक्शन ला के अंतर्गत निर्णय करता है, तो क्या वह राजनैतिक पार्टी के आधार पर निर्णय करेगा या वह किसी कानून के अनुसार चलेगा?

With regard to split in original political party

कहीं व्याख्या नहीं की गई है। एंटी डिफेक्शन एक्ट के बारे में मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में सब लोग विचार करें और इसमें संशोधन करने के बारे में विचार करना चाहिए। एंटी डिफेक्शन एक्ट की बहुत सी क्लाजेज़ ऐसी हैं, जिनमें संशोधन की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि गोवा के बाद जो मामला आया है इस सम्बन्ध में हमें विचार करना चाहिए। यहां पर जो विधायक डिसक्वालिफाई किए गए, स्पीकर ने अपनी दो रिपोर्ट भेजीं। पहली रिपोर्ट में कहा कि इतने मत से सरकार गिर गई, दूसरी रिपोर्ट में कहा कि इतने मत से जीत गई। इतने लोगों को डिसक्वालिफाई किया गया, वे लोग कोर्ट में गए और कोर्ट ने उस आर्डर को सेट असाइड किया। जहां तक गोवा का ताल्लुक है, गोवा के साथ जुड़ा हुआ एंटी डिफेक्शन एक्ट का भी मामला है, इसके सम्बन्ध में भी विचार किया जाना चाहिए था। राव साहब ने अम्बेडकर जी का जिक्र किया। आपने कहा कि पोलिटिकल एंडस के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कम से कम गोवा का जो मामला आया है, मै बताना चाहता हूं जहां बाकी राज्यों में भाजपा की सरकार ने धारा ३५६ इस्तेमाल करने का प्रयास किया है, जहां पर और कोई रिजाट नहीं था, वहां इसका इस्तेमाल किया है। आप इस गलतफहमी में मत रहें कि धारा ३५६ वहां लगाई जा सकती है जहां मुख्य मंत्री का बहुमत न हो।

SHRI A.C. JOS (MUKUNDAPURAM): Sir, the hon. Member has said that the BJP will not use Article 356 unnecessarily. Will he kindly spell out what are the criteria used for applying Article 356 in Goa as well as in Bihar? Can he distinguish both the cases?

SHRI SATYA PAL JAIN : We will discuss Bihar tomorrow, but in both the States, it had become difficult to run the Governments according to the provisions of the Constitution of India. That is the similarity in both the cases. For them, there may be some difference because with regard to Bihar, they want to get some political mileage which they cannot get in the case of Goa. That is their political compulsion, but so far as we are concerned, the situations in both the States were same and it was difficult to run the Governments as per the provisions of the Costitution of India. They should not remain under any misunderstanding that this cannot be done if the Chief with a particular Chief Minister but still we wanted to invoke Article 356. If I give him examples of Article 356 applied by them, he will find that in almost all the cases, the Chief Ministers were having majority. In Gujarat, they dismissed our Suresh Mehta Government when he was having absolute majority. They dismissed it, the United Front Government dismissed it. Therefore, he should not talk of political misuse and all that. It does not look good in his mouth to say that. We are clear about our conceptions. We have not misused Article 356 and we will not misuse Article 356 in future also.

>

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति महोदय, धारा ३५६ के तहत गोआ में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में जिन लचर दलीलों के साथ माननीय गृह मंत्री जी ने यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा, उसमें मैं उनके व्यक्तित्व की दुविधा को समझ सकता हूं। जिनका सारा जीवन इस धारा के दुरुपयोग के खिलाफ इस सदन में और इस सदन के बाहर अपने दल में और जनता के बीच में इसकी वकालत करने में बीता हो, जब वह आधे और अधूरे मन से उसी धारा के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करने की वकालत इस सदन से करते हैं तो एक व्यक्तित्व की दुविधा दिखलाई पड़ती है। वैसे यह बात सही है कि जो राजनैतिक परिस्थिति गोआ के अंदर पैदा हुई, उसमें धारा ३५६ का उपयोग करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था लेकिन यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई, क्योंकि इस धारा के दुरुपयोग का जो इल्ज़ाम केन्द्र सरकार के ऊपर लगता था कि भारत सरकार जानबूझकर राज्यपाल के गरिमामय पद का इस्तेमाल राज्यों की राजनीति को प्रभावित करने के लिए करती है, मेरा इल्जाम है कि भारत सरकार ने उस गलत परम्परा का प्रतिपादन इस सदन के भीतर किया। इस सदन के बाहर गोआ राज्य में वहां के राज्यपाल, वहां के जो पीठासीन अधिकारी थे, उन्होंने अपने पद का जिस तरह उपयोग किया, उसमें इस तरह की स्थिति का निर्माण होना स्वाभाविक था। मेरी शिकायत है कि राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों को भुलाने में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पचास वर्ष लगे लेकिन अपने पचास वर्ष की राजनैतिक प्र तिबद्धताओं को भुलाने में आपको केवल एक वर्ष लगा, मैं इसकी शिकायत करना चाहता हूं।

मुझे इस बात का दुख है कि अभी यह जिक्र किया जा रहा था कि तीन राज्यों में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद राष्ट्रपति शासन जानबूझकर लागू किया गया, मैं कहना चाहता हूं कि उन तीन राज्यों में बाद में चलकर जो चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी पराजित हो गई। यह इस बात का सबूत है कि वहां की जनता की भावनाओं के अनुसार ही उस समय केन्द्र सरकार ने काम किया था। उत्तर प्रदेश में जिस तरह आपने दल बदली कराकर अपनी सरकार स्थापित की, वह कोई अंतिम अध्याय नहीं था। उसका प्रथम अध्याय राजस्थान में शुरु हुआ था जब अल्पमत में रहते हुए निर्दलीय विधायकों को मिलाकर आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार को बहुमत दिलाया और उन सभी निर्दलीय विधायकों को अपनी सरकार में स्थान दिया। राजनैतिक कुकर्म की शुरुआत राजस्थान में हुई और उसका चरम उत्कर्ष उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया और उसकी एक झलक यहां भारत सरकार में भी दिखलाई पड़ी। जिस तरह जोड़-तोड़ से आपने केन्द्र में सरकार चलाई, उसमें गृह मंत्री जी ने धारा ३५६ के बारे में डा. अम्बेडकर के भाषण का उल्लेख जो संविधान निर्मात्री परिषद थी, उसमें उन्होंने किया लेकिन वह एक बात भूल गए कि डा. अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि किन्हीं मजबूरियों में यह धारा हमारे संविधान का हिस्सा बन रही है लेकिन वह एक डैड लैटर के रूप में रहेगी। इसका न्यूनतम उपयोग विशेष परिस्थितियों में आकर सरकारें करेंगी, ऐसी अपेक्षा उन्होंने की थी और जो अंतिम भाषण संविधान सभा में उन्होंने किया था, उसमें यह कहा था कि संविधान में बहुत सारी धाराएं अच्छी हैं और बहुत सारी धाराएं जोड़-तोड़ से बनी हैं जो अच्छी नहीं हो सकतीं लेकिन संविधान इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि इसकी शब्दावली और इसकी मंशा कैसी है। संविधान इस बात पर निर्भर करेगा कि इसके संचालनकर्ता, किस तरह के लोग गद्दी पर बैठे हैं और वे किस तरह इन धाराओं का संचालन करते हैं।

मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जिस पार्टी ने पचास वर्ष तक धारा ३५६ के बारे में अनेक प्रस्ताव इस संसद में पारित किए हैं, सबसे अधिक संविधान की किसी धारा के ऊपर बहस हुई है तो वह धारा ३५६ है। सबसे अधिक चालीस वर्षों तक इस संसद के भीतर धारा ३५६ के ऊपर अपना मन्तव्य करने वाले व्यक्ति आज भारत के प्रधान मंत्री हैं लेकिन जब इस धारा के बारे में इसके उपयोग और दुरुपयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो प्रधान मंत्री जी उससे मुकरने के लिए कहते हैं कि इस पर राष्ट्रीय बहस की जरूरत है। जिन्होंने चालीस वर्षों तक इसी धारा के ऊपर बहस की हो, आज की तारीख में जब उनके ऊपर इस धारा के संचालन की जिम्मेदारी आ गई तो वह कहते हैं कि इसके ऊपर बहस की जरूरत है, मैं ऐसा समझता हूं कि यह कोई राजनैतिक बात नहीं है। किसी प्रधान मंत्री के मुंह से, जिनका पचास वर्ष का संसदीय जीवन, जिसके ऊपर किताब प्रकाशित हुई है, वह आज इस धारा के ऊपर बहस की बात करते हैं। मैं उस दिन का साक्षी हूं जब आडवाणी जी यहां बैठकर सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के एक के बाद एक उद्धरण दे रहे थे और इस धारा के दुरुपयोग की वकालत के विरोध में अपनी बात कह रहे थे।

इस धारा के बारे में सरकारिया कमीशन एक मात्र और अंतिम कमीशन नहीं है। १९६७ में तमिलनाडु की उस समय की सरकार ने एक राजभंडार कमीशन नियुक्त किया था और तब से लेकर आज तक इस धारा के बारे में हिन्दुस्तान के सर्वोच्च नयायालय, हिन्दुस्तान के उच्च न्यायालय और हिन्दुस्तान के एक के बाद एक कमीशन तथा इस संसद की कार्यावाही सबसे अधिक व्याख्या कर चुकी है। लेकिन एक नया आयाम इसमें जोड़ दिया गया है और वह है, दलबदल कानून लागू होने के बाद स्पीकर द्वारा इस धारा के तहत दुरुपयोग और उपयोग। अब तक यह इल्जाम था कि केवल इस धारा का दुरुपयोग भारत सरकार राज्यपाल के गरिमामय पद के जरिए करती है, लेकिन १९८४ के बाद जो दलबदल कानून इस संसद ने पास किया, उस कानून के चलते, जो स्पीकर का गरिमामय पद था, उसका दुरुपयोग और उपयोग होने लगा। उस कानून में एक धारा उसी समय जोड़ी गई कि दलबदल के बारे में स्पीकर का जो निर्णय होगा, वह सर्वमान्य होगा। लेकिन एक राज्य के भीतर इस कानून का दुरपयोग पीठासीन अधिकारी ने तब तक किया, जब तक कि उस विधान में उनके स्वयं के पीछे खड़े होने वाले विधायकों की संख्या सर्वाधिक नहीं हो गई। उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने उस धारा को स्ट्राइक डाउन किया और यह कहा कि दलबदल कानून को स्कूटिनाइज करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय में सुरक्षित रहेगा। इसके रहने के बावजूद गोवा राज्य में दलबदल के जरिए बहुमत की जो सरकार बनाई गई, उसमें निर्णय लेने के लिए आज की तारीख तक सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च पीठ तक गठित नहीं हो रही है। यह दु:ख और चिन्ता का विषय है।

महोदय, हम कहना चाहता हूं कि गोवा में राष्ट्रपति शासन लागू होने का तो समर्थन करते हैं, लेकिन जो-जो राजनीतिक परिस्थितियां गोवा में पैदा हुई, उसके लिए हम केन्द्रीय सरकार की मज़म्मत करना चाहते हैं और उसकी निन्दा करना चाहते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों की भर्तसना करना चाहते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण भारत सरकार ने जान-बूझकर गोवा में पैदा किया। वहां ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि सारे पक्षों को कहना पड़ा कि राष्ट्रपति शासन लागू हो।

इन शब्दों के साथ, वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने का तो समर्थन करते हैं, लेकिन जो राजनीतिक असंतुलन भारत सरकार ने वहां पैदा किया, अस्थिरता पैदा की, उसकी घोर भर्तसना करते हुए, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

>

श्री उत्तमसिंह पवार (जालना) : सभापति महोदय, मैं गोवा के बारे में ही कहूंगा, क्योंकि अगर बिहार के बारे में कहने लगूंगा, तो मुझे नहीं लगता है कि यह चर्चा सात बजे तक भी खत्म हो पाएगी। पिछले तीन सालों से इस सदन में बिहार ही बिहार नजर आता है और कोई दूसरा राज्य नजर नहीं आता है। अभी मेरे साथी ने कहा कि यह राजनीतिक अस्थिरता भाजपा ने निर्माण की है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं और हममें से भी बहुत से सदस्य इस बात को नहीं मानेंगे कि कोई भी दल दूसरे राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का निर्माण करता है। दुर्भाग्य से राजनीतिक अस्थिरता संख्या निर्माण करती है और हमें आगे चलकर सोचना चाहिए कि हमारी सरकारें संख्या पर चलती है, सिद्धान्तों पर नहीं। पिछले पचास सालों में अर्थात १९९० तक धारा ३५६ का दुरुपयोग हर राज्य में हुआ है, उस समय तक संख्या की समस्या नहीं थी। लेकिन आज जो उदाहरण दिए जा रहे हैं, वे उदाहरण केवल इसलिए दिए जा रहे हैं, क्योंकि हम इधर बैठे हैं और आप उधर बैठे हैं। किस तरीके से हमें सरकारों को चलाना चाहिए, इस बारे में कोई भी अपने विचार नहीं देता है।

महोदय, जहां तक गोवा का सवाल है, गोवा में ४० में से ३६ लोगों ने कहा है, जो क्रिस्टल क्लीयर है, कि वहां यह स्थिति है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सचमुच में धारा ३५६ का उपयोग आगे हम किसी राज्य में नहीं करेंगे। क्यों? मैं सदन को बताना चाहता हूं कि दलबदल कानून में बहुत सी खामियां हैं। काश! हम उस बिल में संशोधन करें, तो फिर यह धारा ३५६ की समस्या पैदा ही न हो। लाठी के बल पर और पैसे के बल पर हमारे यहां काम हो रहे हैं। मैं पूछता हूं, क्या यह लोकशाही के लिए अच्छी स्थिति है?

किस तरीके की लोकशाही हमें चाहिए। आज पचास साल की आजादी के बाद हम ३५६ के बारे में कह रहे हैं लेकिन यह नहीं कह रहे हैं कि ५० सालों में हम पानी नहीं दे सके, शिक्षा नहीं दे सके। जब किसी सरकार पर टीका करते हैं तो १० महीने की सरकार पर क्या टीका करनी चाहिए, पचास साल की सरकारों ने क्या किया, यह देखिये। ... (व्यवधान)दस महीने किसी सरकार के लिए बहुत कम होते हैं। हम तो इतना कहते हैं कि जब हम बच्चे की शादी करते हैं तो नवासे का मुंह देखने के लिए कम से कम साल भर मानते हैं चार महीने में तो मुंह नहीं देखते हैं। अब आपकी इच्छा है चार महीने में मुंह दिखाएं, लेकिन मुझे तो पॉसिबल नहीं लगता है।

... (व्यवधान)

गोवा में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है उसका समर्थन तो हम करते हैं पर बिहार में जो प्रमाण हैं

... (व्यवधान)

बिहार का इश्यू तो हम कल लेंगे। गोवा में तो ४० में से ३६ ने कहा है और जो एक ने नहीं कहा है वह स्वयं स्पीकर थे।

... (व्यवधान)

यह जो गोवा में स्थिति हुई है वह कांग्रेसी पक्ष ने की है। मुलायम सिंह जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस सरकार का काम ही ऐसा है कि जहां अच्छा चल रहा है वहां तोड़-फोड़, जोड़-तोड़ कर दो। हमारे शरद पवार जी की सरकार १९७८ में अच्छी चल रही थी लेकिन उनको भी इसका शिकार होना पड़ा था। हर राज्य इसका शिकार हुआ है। कौन है जो इसका शिकार नहीं हुआ है। पर यह समय-समय की बात है। आज हमारी बारी है तो हम उसकी टीका के पात्र न होते हुए भी उसके ऊपर टीका झेल रहे हैं। मेरा इतना ही निवेदन है कि टीका तब करें जब वह सचमुच में जरुरी हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

>SHRI SURESH KURUP (KOTTAYAM): Sir, Article 356 of the Constitution is one of the most misused Articles. Time and again, this Article has been used by the Central Government to dismiss the State Governments that they do not like. From 1959 onwards, this Article has been continuously misused.

Sir, none of the State Governments which belonged to the ruling party at the Centre was dismissed all these years, using this Article. Every Government which was dismissed was belonging to parties which were against the ruling party at the Centre. So, that itself shows the partisan manner in which this Article is being used.

The political drama in Goa shows some serious lacunae in the Anti-Defection Law. While the Anti-Defection Law was passed in this House, we were having all sorts of expectations; we thought that it would finally put an end to defection, etc. The Speaker of an Assembly was given the authority to judge as to whether a Member has crossed floor or not. The Speaker was expected to act in an impartial way. But we have seen so many cases where the Speaker has acted in a partisan manner. We have seen it in UP and also in Goa during the last six months. The Anti-Defection Law and its provisions were misinterpreted by the Presiding Officers.

Shri Advani was presenting the situation in Goa which led to the proclamation of the President's Rule. In a way, he was narrating that he was going by all sorts of democratic norms.

But this is the same Central Government which used this article against the majority Government in Bihar two weeks ago. This particular situation in Goa might justify the use of this article, but this article is misused in a partisan manner by every Government which ruled at the Centre. I am not going into the merit of the situation in Goa. My request is that fresh election should be held for the State Assembly in Goa as soon as possible and people's mandate should prevail. Every political party is responsible for the situation that is existing in Goa today. Floor-crossing has become a routine matter. So, the people are fed up with these parties and leaders of the Assembly.

In principle, I am opposed to the imposition of President's rule and the use of article 356. Whatever reasons the Central Government may put forward, this article is going to be misused again and again by the party which is in power at the Centre which is against all sorts of federal principle.

With these words, I would like to conclude.

>

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): सभापति महोदय, गोवा में संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सदन की मान्यता के लिए एक प्रस्ताव सदन के सामने रखा। मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हमारा देश राज्यों में बंटा है और उस पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण रहता है। इस नियंत्रण को रखने के लिए संविधान में धारा ३५६ का प्रावधान किया गया है। इसलिए धारा ३५६ का होना जरूरी है लेकिन इसका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। ऐसी मांग हर बार होती भी रही है। जिस गोवा में धारा ३५६ का प्रयोग किया गया, वहां जो राजनैतिक समस्याएं उत्पन्न हुई उनका यहां जिक्र अभी आडवाणी जी ने किया। वहां राणे जी के नेतृत्व में कांग्रेस की जो सरकार थी उस कांग्रेस के १० विधायक पार्टी से बाहर निकल गए और उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। ऐसे में राणे सरकार अल्पमत में आ गई। जिन १० विधायकों ने राजीव कांग्रेस बनायी, उनकी विलफ्रेड डिसूजा सरकार बन गई। कुछ महीने बाद विलफ्रेड डिसूजा सरकार में से चार विधायक जो राजीव कांग्रेस के थे, वे फिर बाहर निकल गए। फिर ि वलफ्रेड डिसूजा सरकार अल्पमत में आ गई। यह लड़ाई किन लोगों के बीच में हुई यह चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। वे सभी कांग्रेसी थे। राणे सरकार को परास्त करने वाले कांग्रेसी, विलफ्रेड डिसूजा को बनाने वाले कांग्रेसी और फिर विलफ्रेड डिसूजा को परास्त करने वाले कांग्रेसी। इसके बाद कांग्रेस की फिलेरो सरकार आ गई। उनकी सरकार के जिन १० मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, वे भी कांग्रेसी थे। फिलेरो सरकार को परास्त करने वाले कांग्रेसी थे। कोई दूसरी राजनैतिक पार्टी नहीं थी जिन्होंने इनकी सरकार अल्पमत में ला दी। बाद में ४० विधायकों में से ३६ विधायकों ने मांग की कि गोवा की विधान सभा भंग की जाए।

सभापति जी, आज हम गोवा में संविधान की धारा ३५६ के इस्तेमाल किये जाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगा था कि कांग्रेस की ओर से कांग्रेस संसदीय दल के नेता श्री शरद पवार यहां पर बोलेंगे लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई नेता नहीं बोले, उनके एक विधायक श्री के.एस. राव बोले।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Be it Sansad or Vidhayak, the question is of attitude towards the hon. Member.

श्री अनंत गंगाराम गीते : ठीक है, एक आनरेबल सांसद यहां पर बोल रहे थे। श्री के.एस.राव कोई नेता नहीं हैं। इन कांग्रेसियों ने अपने समय में धारा ३५६ का सदुपयोग या दुरुपयोग ९० बार किया है। जब कांग्रेस राज में थी तो इसका सदुपयोग किया गया और जब हमने किया तो......

श्री राजो सिंह : क्या उस समय आपका जन्म हुआ था?

MR. CHAIRMAN : Please take your seat. Do not disturb like this. Shri Geete, you may continue.

श्री अनंत गंगाराम गीते : आज आपको पता लगा कि आपका जन्म कब हुआ था लेकिन कांग्रेस का अंत तो निकट है, शायद उसके लिये हमारा जन्म हुआ है।

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, जब टोका-टाकी होगी तो क्या करें?

MR. CHAIRMAN): Please address the Chair. Will you please take your seat? There should be no disturbance.

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं आपकी तरफ देखकर ही बोल रहा हूं। कांग्रेस ने ९० बार धारा ३५६ का दुरुपयोग किया

... (व्यवधान)

.. इसमें कोई राज्य नहीं बचा जहां इस धारा का दुरुपयोग न किया गया हो। आज इस सदन में गोवा और उसके बाद बिहार में धारा ३५६ के इस्तेमाल को लेकर चर्चा हो रही है। आज की कार्य सूची की मद संख्या ९ पर गोवा और १० पर बिहार दिये हुये हैं। ये दोनों विषय आज सदन के सामने हैं। गोवा में राष्ट्रपति राज्य लगाये जाने का कांग्रेसी मित्रों ने समर्थन कर दिया लेकिन बिहार के बारे में उनकी भूमिका अलग है।

सभापति जी, मैं ११वीं लोकसभा का सदस्य था और अब १२वीं लोकसभा का सदस्य भी चुनकर आया हूं। केवल डेढ साल के भीतर ही ११वीं लोकसभा भंग हो गई। जब ११वीं लोकसभा अस्तित्व में आई तो कांग्रेस के समर्थन के बल पर श्री देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया गया लेकिन उसी कांग्रेस ने श्री देवेगौड़ा को प्र धानमंत्री पद से हटा दिया। उसके बाद कांग्रेस के समर्थन से श्री गुजराल प्रधानमंत्री बने लेकिन इसी कांग्रेस ने श्री गुजराल को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया यानी ११ वीं लोकसभा को इसी कांग्रेस के कारण भंग करना पड़ा। इस प्रकार हजारों करोड़ रुपये चुनाव पर खर्च करने पड़े और देश की जनता को वह आर्थिक बोझा ढोना पड़ा। हम लोग यहां पर किसानों की चर्चा करते हैं। जब भारत एक गरीब देश है तो क्यों चुनाव पर हजारों करोड़ रुपया खर्च कर जनता को बोझा ढोने के लिये ि ववश किया गया? इन्ही कांग्रेसियों की वजह से १२वीं लोकसभा अस्तित्व में आई और भाजपा के नेतृत्व में मित्र पक्षों की सरकार केन्द्र में बनाई गई।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधान मंत्री बन गए। अब इसी कांग्रेस के साथी प्रधान मंत्री पद से वाजपेयी जी को हटाना चाहते हैं। उनका इंटरस्ट बिहार में नहीं है। बिहार में दलितों का जो नरसंहार हुआ, उस नरसंहार के बारे में कांग्रेस को कोई दुख नहीं है। उनका इंटरस्ट प्रधान मंत्री पद से वाजपेयी जी को हटाने का है। ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please do not disturb like this. Take your seat.

... (Interruptions)

डा. विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर): दलितों का नरसंहार हो गया और ये वोट चाहते हैं।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Will you please take your seat?

... (Interruptions)

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : हमको भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I want to remind the hon. Members that they can speak only when the speaker is yielding. Otherwise, you cannot speak like this. I am not allowing you to speak.

... (Interruptions)

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : वह आक्षेप करेंगे तो हम चुप कैसे रहेंगे?

MR. CHAIRMAN: Shri Geete, you please address the Chair.

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं तो आपको ही ऐड्रेस कर रहा हूं। सभापति जी, मैं उस तरफ नहीं देखता, मैं सिर्फ आपको ही देख रहा हूं।

सभापति जी, मैं जो कांग्रेस की दोगली भूमिका है, उसके ऊपर यहां पर बोल रहा हूं। एक तरफ ये गोवा में धारा ३५६ लगाने का समर्थन करते हैं और उसी सदन के अंदर उसी समय दूसरे राज्य में ३५६ लगाने का विरोध कर रहे हैं। यह कौन सी भूमिका यहां पर निभा रहे हैं? जब ९० बार इस देश के अंदर ३५६ का दुरुपयोग हुआ तब कांग्रेस पार्टी का राज था। लगातार दलितों का नरसंहार बिहार में हुआ। जब पहली बार हमारे प्रधान मंत्री और इस भारत के मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति जी को बिहार में धारा ३५६ लगाने की सिफारिश की तो राष्ट्रपति जी ने प्रस्ताव वापस भेज दिया और इंकार किया।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. Let him speak. It is his time.

... (Interruptions)

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने मंत्रिमंडल द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। राष्ट्रपति जी का निर्णय प्रधान मंत्री जी ने और मंत्रिमंडल ने मान लिया। बाद में फिर जब दलितों का नरसंहार हो गया तो राष्ट्रपति भी विवश हो गए वहां धारा ३५६ लगाने के लिए।

... (व्यवधान)

मुझे बिहार पर नहीं बोलना है लेकिन जो दोगली भूमिका कांग्रेस वाले निभा रहे हैं, सत्ता में आने के लिए इनको दलित चाहिए, चुनाव जीतने के लिए दलित चाहिए, लेकिन जब दलितों पर नरसंहार होता है, तब दलितों के लिए ये आंसू नहीं बहाते, उनसे राजनीति करना चाहते हैं और उनकी इस दोगली नीति पर मैं प्रहार करना चाहता हूं।

आज गोवा में जो राजनीतिक समस्याएं पैदा हुईं तो उनकी वजह से वहां पर धारा ३५६ लगाई गई है और उसका समर्थन यहां पर बैठे सदन के सभी सदस्य कर रहे हैं। मैं भी उसका समर्थन करता हूं लेकिन समर्थन करते हुए मैं इस बात का ज़िक्र ज़रूर करना चाहूंगा कि हमारा राष्ट्र जो अलग-अलग राज्यों से बना है, इसके एक बने रहने के लिए मानते हैं। आज यहां पर कानून और व्यवस्था की चर्चा होती है। जब महाराष्ट्र में कुछ होता है तो यहां पर कानून और व्यवस्था के नारें लगाए जाते हैं, मांग की जाती है कि महाराष्ट्र सरकार बर्खास्त करो। कौन मांग करता है कि महाराष्ट्र की सरकार भंग करो?

श्री रामदास अठावले : हम करते हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते : आप करते हैं, कांग्रेस के लोग करते हैं। कई बार इस प्रकार की मांग की गई है।

... (व्यवधान)

जब रमाबाई नगर की घटना हुई तो इसी ओर से महाराष्ट्र सरकार को भंग करने की मांग की गई। कौन सी धारा के तहत आप यह मांग कर रहे थे। महाराष्ट्र में जब भी कुछ बात हुई है तो राजनीतिक लाभ के लिए महाराष्ट्र सरकार को भंग करने की मांग करते हैं। जब बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा तो चार राज्यों की सरकारों को बर्खास्त किया गया। कानून और व्यवस्था सिर्फ उत्तर प्रदेश में बिगड़ गई थी, लेकिन चार-चार राज्यों की सरकारों को भंग कर दिया गया। जब इनके फायदे की बात होती है, राजनीतिक लाभ की बात होती है तो कहते हैं कि धारा ३५६ सही है और जब आपको राजनीतिक लाभ नहीं होता, जब आप राजनीतिक मुसीबत में आते हैं तब आपको लगता है कि धारा ३५६ का प्रयोग करना उचित नहीं है। इसलिए कांग्रेस की दोगली, दोहरी और दलित विरोधी भूमिका का मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं। देश के हित में जहां पर धारा ३५६ को लागू करने की आवश्यकता है, कानून और व्यवस्था को कायम रखने के लिए जहां धारा ३५६ लगाने की आवश्यकता है, वहां इसे लागू करना राष्ट्र और इस सरकार का कर्तव्य है और इस कर्तव्य को यह सरकार निभा रही है, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : Mr. Geete, you made a good speech. Please keep quiet. No cross-talking please. Let us have an effective discussion.

Shri Ajay Chakraborty.

>SHRI AJAY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Sir, in principle and ethically, we are against the imposition of President's rule under Article 356 in Bihar or Goa or any other State. Since Independence, we have witnessed the ruling party at the Cenre, that is, the Congress Party imposing President's rule under Article 356 on Kerala, West Bengal and other States with some ulterior motive and with political motivation. West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and other States have been the victims of the misuse of Article 356. I would recall the memory of the hon. Home Minister, the strong man of the BJP, that both inside and outside the House, he had strongly pleaded against using Article 356 times without number. I also recall the memory of the hon. Home Minister about the stand taken by his party before Sarkaria Commission. His representative before the Sarkaria Commission strongly pleaded against misuse of Article 356.

Sir, during the days of the United Front Government, the then hon. Home Minister convened the meeting of Inter-State Council after the lapse of a long period and in that particular meeting, the leader of the Akali Dal, the hon. Chief Minister of Punjab, Shri Prakash Singh Badal strongly advocated and raised a demand for the total abolition of Article 356. Some Chief Ministers raised some safeguards as regards the imposition of President's rule under Article 356. What are those safeguards which have not yet been settled? I am rather astonished and sorry to say that in spite of the stand taken by the hon. Chief Minister of Punjab, his party Akali Dal is supporting the Government on imposition of Article 356 in Bihar. I request them to change their stand and not to shift from their earlier stand on principle. Different States in our federal country are raising objections regarding the use of Article 356 and our party and the Left Parties, in principle, are against misuse of Article 356.

At present, the political situation in Goa is very much grave. We condemn the floor-crossing. We are against horse-trading. We are not supporting the floor-crossing because it is unethical, it is unprincipled and unconstitutional also. It is against the verdict of the people. We also condemn the political drama which took place and which was performed by the legislature.

The BJP and its allies strongly advocated the imposition of President's Rule in Bihar. If that be so, why not the same measure be applied in Maharashtra and Gujarat? I think there are sufficient opportunities and scope before the Governor of Goa to ascertain the matter to thrash out the matter within the floor of the Goa Assembly. But the Governor of Goa had not taken that opportunity. He did not avail of that opportunity. But, in principle, on ethical grounds, we cannot support imposition of the President's Rule in any state using Article 356 of the Indian Constitution.

>SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, at the very outset, I would like to state that only one hon. Member has opposed the imposition of President's Rule in Goa under Article 356. But excepting him, all other Members have supported this move even though they had just raised so many matters.

Shri Mohan Singh raised a question about the impropriety committed by the Governor. Shri K.S. Rao also raised so many points against the present Government...(Interruptions) I, just like most of the Members of the House, do support the imposition of President's Rule in Goa under Article 356 of the Constitution. My first point is that the hon. Home Minister has already explained the situation in which Article 356 has been invoked in respect of Goa. Out of the 40 Members in the House, 36 Members had gone to the hon. Governor and told him that the House should be dissolved and there should be another election. Just my friend from the Left Front said that he did not support imposition of Article 356 under any circumstances. He was saying like that. I am asking him that in this particular situation what else could have be done...(Interruptions) 36 Members had already told that it should be imposed and only four Members did not go. Hon. Member Shri Somnath Chatterjee, a senior Member is sitting here...(Interruptions)

Sir, I seek your protection. I am only looking at you and addressing the Chair. I am not arguing with anybody. If you like me to speak, then I will speak.

MR. CHAIRMAN :It is good. Please carry on.

SHRI KHARABELA SWAIN : The senior Member of the CPM, hon. Shri Somnath Chatterjee was rising from his seat to advise me something. But just before some time, when somebody was making some allegation, he was asking me not to advise them. He is the only person who can advise us...(Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Have I said anything to him?

SHRI KHARABELA SWAIN :He does not want to listen to any advice from anybody. He is the only Member who can advise because he is a senior Member. He is not prepared to listen to anybody. But he was just going to advise me. Now he has also stood up to advise me...(Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I have not the presumptuousness to teach anybody in this House...(Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : I am not yielding to him.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I have not spoken to him. Anything and everything cannot be said on the floor of the House. I have not talked to him. I do not wish to speak to him.

He is referring to some imaginary things. I do not know what is happening. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Swain, please listen. I have something to say. Please listen to me. Shri Somnath Chatterjee was not a speaker in this debate.

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, a little while earlier he was going to advise me. He told me certain things. That is why, I referred to him.

MR. CHAIRMAN: His name is not there in the list and he did not speak. He is not a speaker in this debate. The only point is that you can refer to another speaker, but not refer to some comments made by anybody by sitting or anything like that. Shri Somnath Chatterjee did not participate in this debate. So, please do not use names like that.

SHRI KHARABELA SWAIN : He rose and talked to me. That is why I mentioned it.

MR. CHAIRMAN: What is spoken to you personally is a different matter. But he is not a speaker in this debate. There is nothing on record from him.

SHRI KHARABELA SWAIN : All right. But kindly ask him not to advise me.

Sir, I was saying that in this particular situation in Goa, there was no other option but to impose President's Rule under article 356 of the Constitution. That is why, after a long deliberation in the Constituent Assembly, article

356 was provided in the Constitution.

Sir, Shri A.C. Jos was asking as to under what conditions article 356 of the Constitution should be imposed in a State. As a student of political science, I know that there are four specific conditions in which article 356 of the Constitution can be imposed in any State. The first is breakdown of the constitutional machinery just like it has happened in Goa; the second is internal disturbances as had happened in Bihar; the third is armed rebellion which might happen in any State as it sometimes happens in Punjab, North Eastern States and Jammu and Kashmir; and the fourth is insurgency. Generally, these are the four circumstances in which article 356 of the Constitution is imposed in any State. In Goa, one of these conditions, that is, breakdown of the constitutional machinery, prevailed where 36 Members of the Assembly had gone to the Governor and said that they did not want any further Government and that they want an election. That is why, there was no other option and the only option left was to impose article 356 which was rightly done.

Secondly, the Governor has been indicted in an indirect way by the hon. Member, Shri Mohan Singh by saying that he did not utilise his powers. I would like to give a brief overview of the important political events which have taken place in Goa, in a chronological order. The role of the hon. Speaker of Goa Assembly was also referred to by one of the hon. Members. On 27.7.1998, Dr. Wilfred D'Souza, Deputy Chief Minister, alongwith nine other members of the Congress Party split and formed the Goa Rajiv Congress Party. With the support of eight MGP MLAs and four BJP MLAs he staked his claim to form a Ministry.

On 28.7.1998, the Speaker, Shri Tomazinho Lamberto Cardozo, on two disqualification petitions filed before him, passed an interim order restricting 10 MLAs of the GRCP from participating in the proceedings of the Assembly. It is a very strange thing. The Speaker said that those people who had formed another party cannot even participate in the proceedings of the Assembly. Then, the Governor sent a message to the Speaker under article 175 (2) of the Constitution to conduct the business of the House, as directed by him, including the Vote of Confidence on the Ministry headed by Shri Rane. Then, the Chief Minister reported to the Governor a victory in the Vote of Confidence by a voice vote, with a margin of 16-0.

While the Speaker first said that it was 17-13, and subsequently he said that it was 16-13. Then, the Chief Minister said that he won by 16-0. So, firstly, the Speaker said that it was 17-13, and later on he changed it and said that it was 16-13.

So, there are three figures, namely 17-13, 16-13 and 16-0. Is it not a break down of the Constitutional machinery? This is one of the points which I just wanted to refer. Nobody can contradict this statement given by the Governor himself. The Opposition claimed that the proceedings were conducted in a sound manner.

Then, the Governor prorogued the House. Ten MLAs of the GRCP challenged the ad interim order of the Speaker before the High Court. The High Court quashed the Speaker's Interim Order. On 18.8.98, the High Court dismissed Shri Rane's petition against his dismissal, and on 7.9.98, the High Court finally dismissed the Speaker's orders of disqualification of GRCP MLAs. What I mean to say is that whatever was done by the Governor was as per the provisions of the Constitution. He had not done anything wrong. His decision was upheld even by the High Court. So, there is no question of Governor committing any impropriety.

Now, Sir, I do not want to discuss about Bihar. It is because, Bihar will be discussed later on. But some of the hon. Members have raised points about Bihar. Even hon. Shri Mohan Singh also said about Bihar. He also said

'जनता की भावना के अनुरूप मध्य प्रदेश में डिसमिस किया गया, उत्तर प्रदेश में डिसमिस किया गया, हिमाचल प्रदेश में डिसमिस किया गया, राजस्थान में डिसमिस किया गया।'

But, Sir, I am very sorry to say that the Constitution does not provide-

जनता के अनुरूप कहीं किया जाएगा, आर्टिकल ३५६ लागू किया जाएगा। यह इंडियन कौन्सटीटयूशन है, आर्टिकल ३५६ में कहीं है कि जनता की भावना के अनुरूप किया जाएगा?

Sir, even in my own State, Orissa, out of 21 Lok Sabha seats, the BJP and the BJD have won 16 seats in the last elections. Do they mean to say that the Government of India or the hon. Home Minister should dismiss the Congress Government in Orissa? Now, the people are also not with them. It was the Congress Party who had themselves dismissed their own Chief Minister, Shri J.B. Patnaik. They are talking about moral responsibility. I do not know what sort of moral responsibility they had imposed on him... * Where was that moral responsibility with regard to those Congress people? They are now talking about moral responsibility because a false allegation was made by some people that there was atrocity on Christians. I do not want to go into the details of it now, but I will go into the details of it later on.

MR. CHAIRMAN : I think you have completed your speech on Goa.

SHRI KHARABELA SWAIN : I will just speak one sentence, then I will conclude. Yesterday, I did not tell anything deliberately on the question of atrocity on Christians, when the hon. Home Minister was speaking. I am having so many evidences with me, on which I will come later on. Yesterday, I did not deliberately say anything. But on the basis of false allegations, they dismissed their own Government. Now, they are saying that it is immoral to impose article 356 in Bihar. I will come to it later on. But, Sir, finally I do not know why all these things are happening. There was a question about the role of the Speaker. There was a question about the non-implementation of the Anti-Defection Act.

----

* Expunged as ordered by the Chair.

Finally, I will conclude with one request to the hon. Minister that he should go with his proposal of the review of the Constitution. Sir, all these things are happening because it relates to the process of election of the Prime Minister. How should the Prime Minister of the country be elected? Should he be elected by the House? Should he be elected by the Party as it is being done now? This is one of the fundamental questions.

There is another fundamental question regarding the fixation of tenure of the Legislature. That is also another point of view.

16.00 hrs.

This anti-defection thing is happening because of these two things. I would request the hon. Home Minister that he should go with his proposal of starting a national debate on the changes in the Constitution and change in the provisions of article 356. I would request that he should go for all these things. I support the Statutory Resolution for imposition of article 356 in Goa.

Thank you very much.

>SHRI N.K. PREMCHANDRAN (QUILON): Thank you Mr. Chairman Sir. At the outset I also oppose the use of article 356 imposing President's rule in the States.

Article 356 of our Constitution is a controversial article throughout the last 49 years and it has been used so as to wreck the vengeance against those States which are acting against the political interests of the Centre. It is a political weapon in the hands of the Centre to teach a lesson to the State Governments.

In the history of India, during the last 49 years, in the year 1959 the first Communist Government which had come into power through ballot in Kerala was dismissed without any reason because of the law and order situation. Till now, it is going on. In Bihar also, we have seen the same thing. I am not going to discuss the facts regarding the Bihar issue and also the Goa issue. The pertinent point to be discussed is when article 356 can be invoked and whether it is highly essential or its sustenance is essential. That is to be discussed first.

As far as I am concerned, the retention of article 356 without any safeguards is dangerous in our political situation. So far, it has been used 101 times. On a perusal, it may be seen that it has always been misused and it

has not been used. Use of article 356 is entirely different from misuse of article 356.

In the case of Bommai versus the Union of India, the scope and ambit of article 356 has been elaborately discussed. It is very specifically said that it is an extraordinary power which is conferred upon the President and this article can be invoked only in extraordinary situation. But we can see that in Bihar as well as in Goa, it is a peculiar situation. There is no controversy regarding Goa. But it can be seen that it is being used in ordinary situations. It is not being used in extraordinary situations.

Regarding this aspect also, the matter has been referred to the Sarkaria Commission. Regarding the Centre-State relationship and regarding the federal structure of our Constitution, the Sarkaria Commission has made certain recommendations. The first and the foremost recommendation, as far as this power is concerned, is that the Governor who is appointed to a particular State should be a non-political man. He should act beyond political biases. What is happening in our country? The discussion will come today after this and tomorrow when Bihar issue is going to be discussed. The dispute regarding the Governor's appointment will come later on.

I would like to say that so far as the recommendations of the Sarkaria Commission and as far as this matter are concerned, it has so far not been incorporated in the Constitution. Another point which I would like to cite is that an elected Government is dismissing another elected Government. Sir, for example, in Kerala in 1959, the Government was dismissed. That Government was elected by the people of Kerala and the Bihar Government, the Rabri Devi Government was also elected by the people of Bihar. That Government was dismissed as per the advice or as per the recommendations of the Cabinet to the President. That was also elected by the same people. What is the veracity of article 356? What is the legitimacy of article 356? What are the principles of democracy involved in it?

An elected Government, which is elected by the same people who have elected another Government is not supreme. The State Legislature as well as the Parliament are autonomous in their own spheres. One is not supereme than the other. So, the Parliament is also elected by the people as well as the State Legislature is also elected by the people. That is the will of the people. How can the Centre arbitrarily dismiss a Government or dissolve an Assembly without taking into account the people's confidence? That is going on.

Therefore, I would like to submit that there has to be a national debate on article 356. For the last so many decades, it is being discussed but so far no fruitful decision has come up.

So, that has to be discussed in detail.

With these few words, I would like to oppose the use of article 356 in Goa. In regard to Goa also, some other provision has to be found out.

As far as Goa is concerned, we know that the constitutional machinery is collapsed; there is no other alternative and the chance of an alternate Government is not there. When such a Report has come, some other mechanism has to be evolved so as to meet the situation; such a modification is required.

With these words, I once again oppose the use of article 356 in Goa.

>SHRI C. GOPAL (ARAKKONAM): Mr. Chairman, Sir, on behalf of All India Anna D.M.K. I welcome the imposition of the President's Rule promulgated under article 356 in the State of Goa.

Sir, nowadays article 356 is very shocking to some of the eminent leaders and some of the leaders are also giving suggestions against the use of this article.

As far as this article 356 of the Constitution is concerned, now a question has arisen in the minds of the eminent politicians at present whether it should be in the Constitution or it should be removed. I will come to that point again.

As far as the imposition of the President's Rule in Goa is concerned, after thorough preparations, the Central Government has come to the conclusion in a proper way that there is no option except the imposition of the President's Rule in the said State. That is why, the Union Government has recommended for the imposition of the President's Rule under article 356 in the State of Goa.

When you see the history of the State, the first Chief Minister Luizhino Faleiro had got 21 Members out of 40 Members in the Assembly. On that basis, he formed the Government. But it was unfortunate that within 19 days, the 19-day Congress Government headed by Mr. Faleiro paved the way for the Chief Minister to dissolve the State Legislative Assembly within a short also. But the Chief Minister, Mr. Faleiro had declared even at a Press conference that he had recommended dissolution of the Assembly to the Governor. Not only that, even opportunities were given to the Opposition side also; even the Opposition people were not in a position to form a Government in Goa. The public were seeing the situation in Goa. The journalists have also commented about it and they have favoured immediate dissolution of the House and imposition of the President's Rule in the State. What is going on at present in Goa is absolutely a crisis. Even the public have come to the conclusion in their mind that politics has become a joke in Goa.

Under these circumstances, when no political party is ready to form a stable government, the Central Government, after a meeting late in the evening, has advised the hon. President to dissolve Goa's State Assembly and invoke Article 356 till fresh elections were held.

Sir, as I already told the House, there are eminent leaders. They do not have any constant ideas with regard to Article 356. Sometimes, they say that they welcome it and, under certain circumstances, they say that it should not be used. For example, in the year 1980, our eminent leader, Dr. Puratchi Thalaivar was heading the Government. Then, without giving any reason, Article 356 was used at that time and the President's Rule was imposed in the year 1980. Being an eminent leader, having constant touch with the public and having support of the public, he did not accuse anybody. The Government headed by Dr. M.G.R. was removed in the year 1980. He did not even accuse the Central Government. He was a very magnanimous man. He said in the public that he would face them again. He faced the public. He got the victory and again he was heading the Government. However, when this article was used against them, there were certain leaders in Tamil Nadu, who were jumping like anything and talking like anything. Even they were using words which were very abusive. Such leaders are there in Tamil Nadu. In the year 1980, they allowed the use of Article 356. Now, they do not want that Article.

As far as Goa is concerned, the Central Government has taken a right decision.

On behalf of the AIADMK Party, I welcome it.

With these few words, I conclude my speech.

>

डा. विजय सोनकर शास्त्री : सभापति महोदय, गोआ में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है और इसके औचित्य के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लगाया गया, इस पर विस्तृत चर्चा चल रही है। गोआ में जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति को किस तरह से संचालित और नियंत्रित किया जाए, यह एक समस्या थी। यह समस्या सिर्फ गोआ तक ही सीमित नहीं थी अपितु इससे सम्पूर्ण देश प्रभावित था, सभी को इस संदर्भ में चिंता थी। वहां जो प्रशासनिक गतिविधियां थीं जिनका वहां की जनता शिकार हो रही थी, जिस तरह से वहां की परिस्थिति थी तथा वहां पर जो राजनैतिक अस्थिरता थी, इसी संदर्भ में धारा ३५६ के तहत वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जिस तरह से बिहार की स्थिति है, यहां अभी यह भी चर्चा हो रही है कि बिहार में जो कुछ हुआ है, वह ठीक था, वहां पर राष्ट्रपति शासन का कोई औचित्य नहीं था।

मैं मान रहा हूं कि बिहार नहीं है, लेकिन यह भी बिहार नहीं है, यह लोकसभा है। ... (व्यवधान) हमे पता है कि हमें गोवा पर बोलना है। लेकिन यह भी नहीं है कि गोवा और बिहार की स्थिति में कोई बहुत बड़ा अंतर है।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप चेयर को एड्रैस कीजिए।

डा. विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर): महोदय, यह सच बात है कि आज गोवा की स्थिति पर चिन्ता नहीं, बल्कि चिन्तन करना चाहिए। जैसा कि हमारे सहयोगी भी सुन रहे हैं

... (व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि गोवा गोवा है और गोवा बिहार नहीं हो सकता है। परन्तु गोवा में बिहार जैसी स्थिति बनती जा रही थी। गोवा में जो उस समय हो रहा था और जैसा बिहार में हो रहा था, अगर इन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया होता, तो स्थिति दूसरी होती। इसलिए बिहार के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए।

सभापति महोदय : शास्त्री जी, आप गोवा के बारे में बोलिए।

डा. विजय सोनकर शास्त्री : सभापति महोदय, अगर आप इन्हें चुप करायें, तो मैं बोलना शुरू करूं। अगर ये ऐसे ही सुनना चाहते हैं, तो मैं ऐसे ही सुनाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : अब शास्त्री जी गोवा पर बोलेंगे।

एक माननीय सदस्य: शास्त्री जी को गोवा पर बोलना चाहिए।

डा. विजय सोनकर शास्त्री : आप मुझे सलाह न दें।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मैं भी गोवा पर बोलूंगा। हमारी मीटिंग खत्म हो गई है और हम लौट आए हैं।

डा. विजय सोनकर शास्त्री : लालू जी, आप गोवा पर बोलिए, बिहार पर बोलिए, आपको जिस पर आदेश हो, उस पर बोलिए, लेकिन मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

इस संदर्भ में हमारी जो राजनीतिक स्थिति है, उस पर मैं कांग्रेस की स्थिति के बारे में भी बोलना चाहता हूं। गोवा में निःसन्देह राजनीतिक अस्थिरता थी। जिस तरह से वहां दिन-प्रति-दिन घटनायें हो रही थीं, कभी एक दल के लोग दूसरे दल में जा रहे थे और दूसरे दल के लोग पहले दल में आ रहे थे, कोई मैजोरिटी प्रूव करने की बात कह रहा था और कोई कह रहा था कि सरकार अल्पमत में है। इन सारी चीजों को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने जो कदम उठाया, वह प्रशंसनीय है। इसी प्रकार बिहार में जिस तरह का शासन रहा है या हुआ है, वहां की स्थिति भी वैसी थी। ... (व्यवधान) हमारा क्षेत्र बिहार से सटा हुआ है, इसलिए हमें उस पर भी बोलना है। हम तुलना कर रहे हैं बिहार की कि गोवा में क्या स्थिति है।

... (व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नक्वी): महोदय, इन लोगों ने बिहार की गोवा से तुलना की है।

... (व्यवधान)

डा. विजय सोनकर शास्त्री : महोदय, मैं बनारस का रहने वाला हूं और बिहार इससे सटा हुआ है। जब वाराणसी में कोई तनाव बढ़ता है, तो वे लोग बिहार की सीमा में जाकर शरण लेते हैं।

यह सच्चाई थी। आज ऐसा नहीं हो रहा है, दो-चार दिन में भारी परिवर्तन आ गया है। बिहार में क्या हुआ, यह किसी से छिपा नहीं है। पूर्वांचल में जितनी भी हत्याएं होती थीं उनके हत्यारे बिहार में छिपते थे।

सभापति महोदय : आप गोवा के बारे में बोलें।

डा. विजय सोनकर शास्त्री : जिस तरह से दलितों का संहार बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहा था, उससे हम पूरी तरह से प्रभावित होते थे क्योंकि तमाम साथी, रिश्तेदार हमारे बिहार में रहते थे। उनके साथ जब-जब ज्यादती होती थी वे हमारे यहां आते थे। उनको काटा जा रहा था, दलितों की हत्याएं दिन-रात वहां हो रही थीं। आप उस समय के अखबार उठा कर देख लीजिए, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन दलितों की हत्याएं न हुई हों।

... (व्यवधान)

सर, यही सारी परिस्थितियां होती हैं जब किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है कि ऐसी स्थिति हो जाएगी तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please allow him to speak.

डा. विजय सोनकर शास्त्री : आप बता दीजिए कि बिहार में कौनसा ऐसा पैरामीटर है

... (व्यवधान)

पिछले दिनों केन्द्रीय सरकार ने जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए अपनी सिफारिश को राष्ट्रपति के यहां भेजा था, उस समय जब इसे पुनर्विचार करने के लिए वापस कर दिया गया, तो वाराणासी में अनेक स्थानों पर ऐसी चर्चाएं चलीं कि अब बिहार का क्या होगा, अब बिहार के लोगों को कैसे बचाया जाए। सभापति जी, वहां के प्रशासन द्वारा, वहां की सरकार द्वारा जिस तरह से ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाती हैं, यह अत्यन्त शर्मनाक बात है। ... (व्यवधान) एक्सीडेंट तो सब बिहार में होता है, गोवा में ट्रेन चलती तो वहां भी एक्सीडेंट होता। मुझे एक कमेटी के साथ गोवा जाने का मौका मिला था। मैंने वहां देखा कि उस समय ये सारी गतिविधियां पीक पर थीं। मुझे तीन-चार दिन वहां रहने का मौका मिला। कुछ वहां के राजनेताओं से वार्ता हुई और वहां के तथ्य सामने आये और वे तथ्य पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे थे। ऐसी स्थिति में अगर वहां पर धारा ३५६ के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और उसकी आलोचना हो रही है तो जिस तरह से बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है आलोचना बिहार पर भी होगी।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Do not listen to them. Dr. Bizay Sonkar Shastri, you please address the Chair.

डा. विजय सोनकर शास्त्री : सभापति महोदय, बिहार की बात ये लोग सुनना चाहते हैं। बिहार की दुर्दशा ये लोग देखना चाहते हैं। बिहार में जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार वही लोग होंगे जो बिहार के ऊपर समर्थन दे रहे हैं। गोवा में जो कुछ हुआ, राष्ट्रपति शासन जैसे भी गोवा में लागू किया गया है वह उचित है और मैं उसका समर्थन करता हूं।

>

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : सभापति महोदय, गोवा में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए जो प्रस्ताव अनुमोदन के लिए आया है, मैं उसमें गोवा तक ही अपने आप को सीमित रखूंगा। जब बिहार की बात आएगी तो हम बिहार के बारे में बोलेंगे। ... (व्यवधान) हम आपको पहाड़ा बिहार का दे देंगे, आप उसे पढ़ते रहना। जब बिहार की बात आएगी तो आपको, सदन को, देश को और दुनिया को सारे तथ्य बताएंगे। मैं अभी केवल गोवा की ही चर्चा करूंगा। यह जो रट लगा रहे हैं, उससे पता लगता है कि इनके मन में कितनी जलन थी, कितनी तैयारी थी और क्या षडयंत्र था? इन्हें सपने में भी बिहार दिखाई देता है।

डा. विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर): यह मेरी बात कह रहे हैं। यह सच है कि हम दिन-रात बिहार-बिहार करते थे क्योंकि हम बिहार को झेल रहे थे। बिहार में जो हो रहा था, उससे हम दूर नहीं थे।

श्री लालू प्रसाद : महामहिम राज्यपाल ने एक-एक बात यहां भेज कर राष्ट्रपति को गुमराह किया। उस बारे में राष्ट्र और सदन को बताया गया। उन्होंने जो आरोप लगाए, हम उनका कल जवाब देंगे।

... (व्यवधान)

आडवाणी जी को इस बारे में कैसे पता नहीं होगा? वह उसके जनक हैं। आडवाणी जी सरदार पटेल बनने चले थे। चौबे जी चले थे छब्बे बनने और दुबे बन कर रह गए।

... (व्यवधान)

माननीय आडवाणी जी की नीतियों के बारे में इन्हें जानकारी देनी पड़ेगी।

... (व्यवधान)

डा. विजय सोनकर शास्त्री : सभापति महोदय, अगर यह ऐसी बात कहेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। यह गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने कोई अ पमानजनक शब्द प्रयोग नहीं किए थे। हम भी अपमानजनक शब्द प्रयोग कर सकते थे।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please do not interfere...

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Will you please take your seats?...

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shastriji, will you please take your seat? You have already made your point...

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shastriji, I am requesting you to please take your seat. Please understand that each Member has got his or her time. Please do not disturb others. Anything unparliamentary will be removed from the record. Please take your seat now. Why do you disturb like that? Referring to an hon. Member in parliamentary language cannot be deleted. So, please listen to other Members also. So far nothing has been mentioned here which is unparliamentary and which has to be removed from the record. So, please understand that and please avoid such disturbances.

श्री लालू प्रसाद : महोदय, हम असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करते और न ही भविष्य में करेंगे। मैं तथ्य बता रहा था। मैं गोवा तक अपने आप को सीमित रखना चाहता हूं। धारा ३५६ के मामले में आरोप लगाया गया कि जब कांग्रेस पार्टी शासन में रही तो उसने भी इस धारा को लगाया।

श्री देवेगौड़ा ने लगाया, आप उसका अनुकरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने धारा ३५६ के बारे में राष्ट्र को आश्वस्त किया था कि सभी पोलिटिकल पार्टीज से ि वचार-विमर्श किया जायेगा कि धारा ३५६ रखा जाये या न रखा जाये। इस मामले में हर राज्य का अभिमत मांगा गया था। राजनैतिक कारणों, द्वेष अथवा घृणा या बदले की भावना से चुनी हुई किसी सरकार को अपदस्थ न किया जाये, इसके लिये एक कमेटी का गठन किया गया। जब कमेटी की बैठक हुई तो गृह मंत्री जी उसमें रहे होंगे और यही राय बनी थी। उस कमेटी के पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री बुजुर्ग नेता श्री ज्योति बाबू सदस्य हैं। उनको तथा अन्य लोगों को धारा ३५६ के मामले में काफी तकलीफ हुई होगी। चाहे राजनैतिक बाध्यता जो भी रही हो, ऐसा किया गया है। हम राष्ट्र को जोड़ना चाहते हैं। अब गोवा का सवाल है...

MR. CHAIRMAN : Shri Lalu Prasad, please take your seat.

We started this discussion at 2.31 p.m. Originally, the time allotted by the Business Advisory Committee for this discussion was two hours. There are six more speakers who want to participate in the discussion. So, if the House agrees, we can extend the time for discussion by one hour.

SHRI BHAJAN LAL (KARNAL): Sir, we may extend it by half-an-hour.

MAJOR GENERAL BHUVAN CHANDRA KHANDURI, AVSM (GARHWAL): Sir, we may extend it by one hour.

MR. CHAIRMAN: What is the consensus of the House?

MAJOR GENERAL BHUVAN CHANDRA KHANDURI, AVSM : We should extend it by one hour.

MR. CHAIRMAN: We are just extending the time and that is all.

MAJOR GENERAL BHUVAN CHANDRA KHANDURI, AVSM : We may extend the time by one hour.

MR. CHAIRMAN: So, the sense of the House is to extend the time for discussion by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: The time for discussion is extended up to 5.31 p.m.

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, ३५६ के मामले में चाहे कोई भी पौलिटिकल पार्टी हो, आज ये लोग पावर में हैं, लेकिन मैं लक्षण ठीक नहीं देख रहा हूं। हमारे कुछ साथी पार्लियामेंटरी, अनपार्लियामेंटरी भाषा की बात कह रहे थे। यह सबको मालूम है कि नौ महीने में इन्सान का बच्चा पैदा होता है लेकिन इस सरकार को

आये हुये आज दस महीने हो गये हैं, कोई रिज़ल्ट नहीं निकला है। इन लोगों की सरकार उपद्रव मचाये हुये है। अब अबार्शन होने वाला है। जब महामहिम राष्ट्रपति जी अड्रेस कर रहे थे, इसका लक्षण उस समय मालूम हो गया

... (व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नक्वी): सभापति जी, लालू जी ने वायदा किया था कि स्ट्रिक्टली वे गोवा पर बोलगे लेकिन अब वाया बिहार क्यों जा रहे हैं?

श्री लालू प्रसाद : जब एक बार व्यवस्था हो गई कि जो असंसदीय होगा, देखकर, पढ़कर निकाल देंगे, तो बार बार इसे उठाने की जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय, धारा ३५६ के मामले में गोवा से शुरुआत की गई है। जब पहले वहां बी.जे.पी. का शासन हुआ तो बड़ी खुशी हई। फिर आपका शासन बदला। स्थिति ऐसी क्यों बनी है? नार्थ ईस्टर्न स्टेटस में क्यों हो रहा है? हि. प्र. में हो रहा है।

श्री मुख्तार नक्वी: वहां कभी नहीं हुआ।

श्री लालू प्रसाद : हिमाचल प्रदेश में पं. सुख राम को पूजा जा रहा है। लालू को जेल में और पं. सुखराम की पूजा? सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये देश को नये नये और छोटे राज्यों में बांटकर सदाव्रत बांटने का काम कर रहे हैं। ये देश को तोड़ना चाहते हैं। जहां तक गोवा की स्थिति है,वहां सीमित असेम्बली सीटें हैं। वहीं स्थिति नार्थ ईस्ट स्टेटस की है और फिर उत्तरांचल, वनांचल की बात करके आप.

... (व्यवधान)

MAJOR GENERAL BHUVAN CHANDRA KHANDURI, AVSM : Mr. Chairman Sir, I object to this. This is not relevant.

सभापति जी, उत्तरांचल और वनांचल का गोवा से कोई संबंध नहीं है। यह कहना कि हम छोटे छोटे राज्य बना रहे हैं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं।

MR. CHAIRMAN: You cannot object to a person referring to that. There is nothing objectionable in that.

MAJOR GENERAL BHUVAN CHANDRA KHANDURI, AVSM : Sir, it is an irrelevant issue.

MR. CHAIRMAN: You speakers can reply to that.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Anybody speaking from your side can reply to that.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please take your seat. There is nothing objectionable in that.

MAJOR GENERAL BHUVAN CHANDRA KHANDURI, AVSM : Imposition of President's Rule in Goa has nothing to do with Uttaranchal.

MR. CHAIRMAN: I agree but we cannot give any direction on how a Member should speak. Please take your seat.

डा. विजय सोनकर शास्त्री : उत्तरांचल और गोवा का क्या संबंध है? बिहार का और वनांचल का संबंध हो सकता है।

... (व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : संदर्भ को समझिये। आप सेना में रहे हैं और हम लोग पोलिटिकल कैरियर में कभी जेल के भीतर रहे और कभी जेल के बाहर रहे। आपको अ लग से समझाना पड़ेगा। मैं संदर्भ बता रहा हूं।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम : देश की रक्षा के हित के बारे में माननीय लालू जी राजनैतक तोड़-मोड़ जानते हैं मगर देश की रक्षा की बात मत कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : आपको मौका मिलेगा तो बोलिये।

... (व्यवधान)

एक बार इमरजेन्सी में हमारे साथ जेल गए थे। वह भी दस्तावेज़ और इतिहास है। सभी दलित प्रेमी लोग जो नकली आंसू बहा रहे हैं, माफी मांग-मांगकर जेल से निकले थे। २० सूत्री कार्यक्रम में इंदिरा जी को प्रणाम करके, नमस्कार करके और जेपी के विचारों को धोखा देकर निकले थे। यह जवाब दे दें गृह मंत्री जी। जनेऊ जो कान पर लगता है, टॉयलट जाने के समय में

... (व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नक्वी): लालू जी गोवा पर बोल रहे हैं या बिहार पर बोल रहे हैं या टॉयलेट पर बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं लग रहा है

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Will you please take your seat? He is not yielding. Please understand that you cannot intervene, if the Member does not yield. Please take your seat.

... (Interruptions)

डा. विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर): इन्होंने हिन्दू संस्कृति के खिलाफ बात की है।

... (व्यवधान)

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): इन्होंने जनेऊ के बारे में बात की है, यह नहीं चलेगा।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: How can you stand up and speak like this? Please take your seat.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record other than Shri Laloo Prasad Yadav's speech.

(Interruptions) *

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : सभापति जी, हमारा व्यवस्था का प्रश्न है। ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You please take your seat. Under what rule are you raising this? I want to know if it is a point of order. This is not allowed. If you want to raise a point of order, I will allow you; otherwise, I will not.

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): पॉइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि ये जनेऊ को गाली कैसे दे सकते हैं? ये जनेऊ पहनें या न पहनें, ये जनेऊ को गाली कैसे देंगे?

----

* Not Recorded.

MR. CHAIRMAN: There is no point of order. Please take your seat.

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : ये हमारी हिन्दू संस्कृति और व्यवस्था पर चोट नहीं कर सकते।

... (व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप इस पर नियमन दीजिए कि ये गोवा पर बोल रहे हैं या टॉयलेट पर?

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You cannot ask any question now.

... (Interruptions)

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : सभापति जी, ये भाषण कर सकते हैं पर जनेऊ को गाली नहीं दे सकते

... (व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : कौन गाली दे रहा है?

... (व्यवधान)

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : आप गाली दे रहे हैं।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You will have an opportunity to reply to what others are speaking. Do not go on speaking like this. The job of the Chair is not to discipline each of the Members. Please understand it. You are senior Members. Do not behave like this.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shastriji, please sit down.

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : । डा. विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर): इस तरह से हाउस नहीं चलेगा।

... (व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : । कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।)

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): यह जनेऊ को क्वोट कैसे करेंगे?

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: What is the point in talking like this?

----

* Expunged as ordered by the Chair.

** Not Recorded.

... (व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : । ये हमको गाली देंगे? (व्यवधान)

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : अगर हम जनेऊ पहनते हैं तो ये हमको गाली कैसे देंगे?

... (व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद :। (व्यवधान)

मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जनेऊ को गाली नहीं दे रहा हूं। जे.पी. ने कहा था ऊंची जाति के लोगों, बच्चों यह हमारा टोटल रिवोल्यूशन है, सम्पूर्ण क्रांति है

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : What is this?

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record other than what Shri Lalu Prasad says.

(Interruptions)**

MAJOR GENERAL BHUVAN CHANDRA KHANDURI, AVSM : Can he not speak on Goa?

MR. CHAIRMAN: Please do not direct like this. It is the will of the Members.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Khanduri, you are the Whip of the party. While making his speech Dr. Shastri did not utter a word about Goa but we were allowing him. Please understand it.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I am not saying that he can speak anything. On the issue of Goa, if Members want to utilise their time effectively, let them use it. The whole country is watching this. This is my request. So, please do not direct other Members like this.

... (Interruptions)

----

* Expunged as ordered by the Chair.

** Not Recorded.

श्री लालू प्रसाद : मैं किसी के जनेऊ को गाली नहीं दे रहा हूं। जे.पी. ने कहा था - तोड़ डालो, सब जातियों, क्लासेज का सोसायटी बने। इनकी पार्टी, इनका संघ परिवार बोला कि जे.पी. ने तो हमारे विचारों, हमारे कट्टरपंथ को ध्वस्त कर दिया। टनों में ऊंची जाति के लोगों ने जनेऊ तोड़कर भेजे, न कोई ऊंच रहा न कोई नीच, न कोई दलित रहा। मैं यह सब नहीं कह रहा हूं, इन चीजों को अब आप सुनिये, चूंकि आपने अतिक्रमण किया, आप और आपके लोग गोवा छोड़कर बिहार में निकल गये। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि संघ परिवार और कट्टरपंथ

... (व्यवधान)

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : संघ परिवार को बीच में क्यों ला रहे हैं ... (व्यवधान)

डा. विजय सोनकर शास्त्री : सभापति महोदय, आपने बहुत रूलिंग्स दी हैं। जिस तरह से आप रूलिंग्स दे रहे हैं, आपकी रूलिंग का यह वॉयलेशन कर रहे हैं। यह संघ परिवार के बारे में बोल रहे हैं या गोवा के बारे में बोल रहे हैं? ... (व्यवधान) अगर आप संघ परिवार पर बोलना चाहते हैं तो हम इसके लिए भी अलग से तैयार हैं। अगर यह ऐसे ही बोलते रहेंगे तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। । श्री लालू प्रसाद : इसका डिमांस्ट्रेशन मैं कल बताऊंगा। ... (व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : चर्चा गोवा पर हो रही है, यह गोवा पर बोलें, यह किसी और विषय पर बोल रहे हैं

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Whatever you are saying is not finding a place on the record. Please take your seats.

(Interruptions)**

श्री लालू प्रसाद : यह देश को तोड़ने वाले

... (व्यवधान)

गोवा में राष्ट्रपति शासन के बारे में मैं बता रहा था, मैं सुझाव देना चाहता था

... (व्यवधान)

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): लालू यादव जी, ...।

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : मैं उसी बात को दोहराऊंगा, तुम्हारे कौन-कौन से घोटाले हैं, ...।

----

* Expunged as ordered by the Chair.

** Not Recorded.

16.42 hrs. (At this stage Shri Surendra Prasad Yadav (Jhunjharpur) and some other hon'ble Members came and stood near the table of the House)

MR.CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seats.

... (Interruptions)

16.43 hrs. (At this stage Shri Surendra Prasad (Jhanjharpur) and some other hon'ble members went back to their seats.)

... (व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : यही है संविधान, यही है कट्टरपंथ, यही है ... (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं मस्जिद तोड़ने वाले कट्टरपंथी देश को ६ वस्त करने वाले हमें पाठ पढ़ा रहे हो।

... (व्यवधान)

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): ...।

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : ...।

(व्यवधान)

16.44 hrs. (At this stage Shri Lalu Prasad and some other hon'ble Members came and stood near the Table of the House.)

सभापति महोदय : आप सभी अपनी सीटों पर जाइये। ...

(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please go back to your seats.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seats.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please resume your seats.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I once again appeal to all hon. Members to please resume their seats.

... (Interruptions)

----

* Expunged as ordered by the Chair.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members are requested to resume their seats please.

... (Interruptions)

14.47 hrs.

(Shri Lalu Prasad and some other hon'ble Members then went back to their seats.)

MR. CHAIRMAN: Shri Lalu Prasad, please take your seat.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Lalu Prasad, will you please take your seat?

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : सभापति महोदय, सदन में उन्होंने गाली दी है। पूरा सदन सुन रहा था कि वे गाली दे रहे थे। इसलिए उनको सदन से माफी मांगनी चाहिए।

DR. SUBRAMANIAN SWAMY (MADURAI): Why do you not ask him to apologise?

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seats.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: How long are you going to do this? Please take your seats.

श्री शरद पवार (बारामती) : सभापति महोदय, सदन में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है वह ठीक नहीं है। किसी को बदतमीज कहना, किसी को चोर कहना, मुझे नहीं लगता कि यह सदन की गरिमा के लिए ठीक है। इसलिए जो कुछ भी सदन में हो रहा है, उसे रोकना चाहिए। मुझे इस बात को देख कर शर्म लगती है कि संसादीय कार्य मंत्री स्वयं इस टोका-टोकी में शामिल होते हैं। यह ट्रेझरी बैंच की जिम्मेदारी है कि सदन को ठीक प्रकार से चलने दिया जाए। यदि संसदीय कार्य मंत्री ही टोका-टाकी में भाग लेंगे, तो मुझे नहीं लगता सदन ठीक प्रकार से चल पाएगा।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Prabhunath Singh, please sit down.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नक्वी): सभापति महोदय, मैंने कुछ भी नहीं बोला।

श्री शरद पवार : सभापति महोदय, यह कहीं तो रुकना चाहिए। मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने आदमियों को इस सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए कहें। मैं अपने दल के लोगों की जिम्मेदारी लेता हूं।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I will allow you after this. Please sit down.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I will allow you after this.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Will you please take your seat? The hon. Minister of Home Affairs is on his legs. Why are you disturbing like this when your own leader is on his legs? Please allow the hon. Minister to speak.

... (Interruptions)

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): सभापति जी, मैं माननीय विपक्ष के नेता की इस बात से बिलकुल सहमत हूं कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए और यह सदन की गरिमा को नीचा करता है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो प्रतिपक्ष के नेता ने संसदीय कार्य मंत्री के बारे में कहा है, मैंने उनसे कोई ऐसी बात नहीं सुनी।

MR. CHAIRMAN: Shri Shailendra Kumar, please sit down.

श्री शरद पवार (बारामती) : सभापति जी, पिछले एक घंटे में मैंने उन्हें ऐसा करते हुए कितनी ही बार देखा है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः सभापति महोदय, मैं माननीय शरद पवार जी से इस बात में सहमत हूं कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किसी भी ढंग से नहीं होना चाहिए। जो कुछ हुआ वह चाहे उस तरफ से हुआ या हमारी तरफ से हुआ, वह नहीं होना चाहिए।

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि संसदीय भाषा या इस प्रकार के शब्द जो किसी के प्रति अपमानकारक हों, उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): क्या टोका-टाकी जारी रहेगी?

... (व्यवधान)

लालू जी जब बोल रहे हैं।

... (व्यवधान)

मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब कोई

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : What is this?

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No. This is enough. You may take your seats. The Leader of the Opposition and the hon. Home Minister have made very clear the mood and the sense of the House. I am not allowing any more Members to make any reference to this.

I have been telling the Minister of State for Parliamentary Affairs, when he was interfering on a particular issue, that even if there are provocations from the Opposition, it is the parliamentary practice that the Treasury Benches would show more tolerance. That is why, I once tried to prevail on the hon. Minister of State for Parliamentary Affairs.

Unparliamentary and derogatory languages are being used by both the sides; and they will be removed from the records of the House. I once again request the hon. Members not to use even provocative languages. We are discussing an issue. I would say that provocative languages can be used in a parliamentary debate, but for the smooth functioning of the House, kindly see that even provocative expressions and language are not used in the House.

I have a special request to Shri Lalu Prasad also that whenever he is making a point - he was making very good points, but at the same time, he was provoking - let him kindly avoid provoking the other side.

In spite of my repeated requests, a very senior Member from the ruling party was not at all listening to the Chair. Kindly do not do that. It is not that some individual person is sitting in the Chair. One has to abide the Chair.

Whatever happened in the last five or ten minutes in the House is very unfortunate and unbecoming of the House. Let us forget it and let us have a more constructive discussion. Whatever derogatory languages are used here will be looked into and they will be removed from the records.

Shri Lalu Prasad may continue.

... (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): सभापति जी, आपने अभी जो रूलिंग दी, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं और उसका पालन करता हूं। लेकिन यह सवाल दोनों तरफ कहकर नहीं टाला जा सकता है। हम गुस्से में कुछ कह सकते हैं, यह सही है लेकिन गाली हमारी तरफ से पहले कभी नहीं दी गई।

... (व्यवधान)

अगर गाली दी जायेगी, तो हम गुस्से में इससे ज्यादा अच्छी गाली देना जानते हैं।

... (व्यवधान)

आप दोनों की बात क्यों करते हैं?

... (व्यवधान)

मैं आपकी रूलिंग मानता हूं लेकिन

उनकी तरफ से तीन बार गाली दी गई

... (व्यवधान)

चौथी बार हम लोगों को गुस्सा आया, यह ठीक है। क्या हम गाली सुनेंगे? क्या हम इनकी बेहूदा बातें सुनने के लिए आये हैं?

... (व्यवधान)

लालू जी को आप क्या समझते हैं?

... (व्यवधान)

आप क्या बात कर रहे हैं। हम आपकी रूलिंग को मानते हैं

... (व्यवधान)

यह आपकी रूलिंग को तोड़ रहे हैं।

... (व्यवधान)

तीन बार इन्होंने बेहूदा कहा तभी हमारे सदस्य उत्तेजित हुए। आपने उन्हें नहीं रोका।

आडवाणी जी, आप जैसे गारिमापूर्ण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को दोनों तरफ की बात नहीं कहनी चाहिए। मेरा आपसे यह कहना है कि आप उनको डांटिये, हम अपने को कंट्रोल कर लेंगे।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I have said it.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति जी, जब कोई सदस्य बोल रहा हो तो एक दर्जन व्यक्ति उठकर मन बना लें कि हम उन्हें बोलने नहीं देंगे

... (व्यवधान)

आडवाणी जी मुस्कराते रहे

... (व्यवधान)

इसको देखना चाहिए।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Now, let us take up the business please. Shri Lalu Prasad may continue. Please do not disturb him.

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, आर्टिकल ३५६ की शुरुआत गोवा से हुई। मैं मानता हूं कि कार्य मंत्रणा की बैठक में सभी दल इस बात से सहमत हुए कि वहां के पोलिटिकल हालात बहुत खराब हो गये हैं इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन लागू किए बगैर और कोई निदान नहीं है। यह हम लोगों ने माना लेकिन इसका बिहार मे चला जाना, बिहार आपके सामने आने वाला है। मैं यह बता रहा था कि छोटे-छोटे राज्य जहां ४० सीटें हैं, ८० सीटें हैं वहां सब मंत्री बनना चाहते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। यह बात इस मुल्क में बराबर आती रहेगी। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम असेम्बली की सीटों को बढ़ा सकें। चाहे हिमाचल हो, नार्थ ईस्ट हो जहां दो-तीन सीटों से फैसला हो जाता है और सरकारें नहीं चलतीं। इससे जनता के काम बाधित होते हैं इसलिए हम यह बताना चाहते हैं कि देश के टुकड़े-टुकड़े करना और देश को खंड-खंड में बांटना, अपना प्रभुत्व स्थापित करना जैसी एक संस्कृति इस मुल्क में बन गई है।

16.55 hrs. (Mr. Deputy Speaker in the Chair)

जिस तरह ईर्षया, द्वेष और जलन से देश में काम हो रहे हैं, आज दलितों के बारे में बताया गया, मैं बता रहा हूं कि जिस कट्टरपंथ ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छीना, हमारे समतामूलक समाज और 'सही आजादी का सबूत, गांव हमारा हो मजबूत' बापू का जो संदेश था, आज बापू इस दुनिया में नहीं हैं। हमारे दलित भाई, माईनौरिटीज के लोग हों, क्रिश्चियन बिरादरी के लोग हों, आपको बिरादरी से क्या मतलब है। कल जब बिहार के मामले में बात होगी तब हम बताएंगे। मुझे

भी उस राज्य का मुख्य मंत्री रहने का अनुभव रहा है। किस तरह से संभ्रांत वर्ग टी.वी. में आ रहा है, किस तरह से बिहार की राबड़ी देवी को संबोधित करता है, किस तरह से बिहार में सोशल जस्टिस होगा, मैं कल बताऊंगा।

मैं वापिस अपनी बात पर आता हूं। आप गोवा के बारे में जो प्रस्ताव लाए हैं, क्योंकि वहां परिस्थिति ऐसी हो गई थी, भविष्य की रणनीति, आपके कट्टरपंथ, आपकी नीति को देश की जनता ने समझ लिया है। अब वह समय नहीं है। लोगों को आपके विषय में काफी भ्रम था, वह भ्रम मिटा है और आप मोहर लगाना चाहते हैं। महोदय, आपने कल गृह मंत्री जी का टी.वी. में कार्यक्रम देखा होगा। वे मंत्री हैं। मिनिस्टर कहते हैं - करप्ट गवर्नमैंट, ऐंटी दलित, बिहार के मामले में, करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में आप पर मुकदमे हुए। हमने कभी आपको भ्रष्ट नहीं कहा, हमने आपको गालियां नहीं दीं। हम पर मुकदमा हो, किसी भी साथी पर मुकदमा हो, किसी भी मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट पर मुकदमा हो, मुकदमा होने वाला भी है, आप समझें कि जो जैसा करेगा, हम न्यायपालिका का आदर करने वाले लोग हैं लेकिन आप न्यायपालिका को नहीं मान रहे हैं। सज़ायाफ्ता आदमी आज उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं। क्या आपने देश की माईनौरिटी के साथ, मस्जिद को तोड़ना, न्यायपालिका के आदेश का पालन न करना, न्यायपालिका की बात का पालन न करके आप कौन सा संदेश देना चाहते हैं? ... (व्य वधान) मैं अपने संकल्प को फिर दोहराता हूं कि एक गाली देंगे तो हम एक सौ एक गाली ठोकेंगे।

... (व्यवधान)

आप बीच में क्यों आ जाते हैं।

... (व्यवधान)

आप हजारों वर्षों से हमारे बाप-दादाओं को गाली देते रहे हैं, हमारे बाप-दादा शोषण और दोहन के शिकार होते रहे हैं। मैं सारी बात जानता हूं कि आपकी क्या योजना है, आप क्या करना चाहते थे, आपका दिया हुआ दस्तावेज, बिहार में कामेश्वर पासवान, दलित के बारे में मैं कल देश को, राष्ट्र को बताऊंगा। सारा लिट्रेचर है, आप नेशन और राष्ट्रपति को डिसीव नहीं कर सकते, आपने राष्ट्रपति जी को धोखा दिया है, सदन को धोखा दिया है।

... (व्यवधान)

आपको बोल रहे हैं। गोवा पर ही बोल रहे हैं। गोवा तो एक बहाना है, इसको हमने जाना है। गोवा से निकलकर बिहार में, आप कहीं और जाने वाले हैं। कल जब बिहार आएगा तो हम आपको कोने में ठेल देंगे, जहां कहीं आपका पता नहीं रहेगा।

... (व्यवधान)

महोदय, आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। जिनका प्रस्ताव गोवा के मामले में आया है, हम उसका समर्थन करते हैं और इनको वार्न करते हैं, चेतावनी देते हैं कि धारा ३५६ के नाम पर आपने अपना शासन लादने की कोशिश की। देश में और विदेशों में भी लोगों ने तानाशाही नहीं चलने दी है, तानाशाही को उखाड़कर फेंक डालेंगे।

17.00 hrs.

वाजपेयी जी मोड़ेट होने की चाहे जितनी कोशिश करें, बस पर आने-जाने की कोशिश करें, मैंने उनको कहा था कि आप तो जा रहे हैं, अच्छी बात है, मुलायम सिंह यादव जी वही बात कर रहे थे, लेकिन उस बस में अगर पीछे आदरणीय आडवाणी जी नहीं हैं तो आपके पाकिस्तान जाने का कोई मतलब नहीं है। आपका खेल बिगाड़ने के लिए हम बैठे हुए हैं। यह देश टूट के कगार पर खड़ा है। आप यह काम मत करिये, देश को मत तोड़िये, देश को जोड़िये। जो अच्छी बात होगी, उसका हम समर्थन करेंगे। गोवा में ऐसी स्थिति आ गई, हमारा लोकतांत्रिक मोर्चा है, हम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन दूबे जी, चौबे जी, त्रिपाठी जी, जो हमको मंत्र पढ़ाते थे, अब गाली पढ़ाओगे तो हम लोगों ने सारा सीख लिया है, सारा अंत्र-मंत्र सीख लिया है।

... (व्यवधान)

आप महिला हो, आप क्यों खड़ी हो जाती हैं, आप बैठिये।

श्रीमती भावना कर्दम दवे (सुरेन्द्रनगर): हमारा अधिकार है।

श्री लालू प्रसाद : आपका अधिकार तो मैं दे रहा हूं। आपका अधिकार है तो राबड़ी देवी की गर्दन क्यों कटवाई? महिला का अधिकार है तो राबड़ी की गर्दन क्यों ले ली, उस पर क्यों नहीं बोलती हैं? इनका अधिकार है?

महोदय, मैं समर्थन करके बैठ जाता हूं। इनका अपने लिए अधिकार है, राबड़ी देवी के लिए अधिकार नहीं है, उसकी गर्दन ले गये।

(इति)

>

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गोवा में धारा ३५६ के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव आया है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

कानून देश में व्यवस्था के लिए बनाया जाता है और कानून बुरा नहीं होता है। कानून किनके हाथों में है और इसका किस प्रकार से उपयोग और दुरुपयोग होता है, यह इस पर निर्भर करता है। जब कांग्रेस इस देश में राज करती थी तो उसने ९० बार धारा ३५६ का दुरुपयोग किया। गोवा में संवैधानिक स्थिति ऐसी बन गई थी कि वहां पर राज नहीं चल सकता था और इस सैवैधानिक संकट से उबारने के लिए सभी दलों के लोगों ने, विधायकों ने मिलकर, सभी दलों के नेताओं ने मिलकर, लगभग ३६ लोगों ने राष्ट्रपति शासन का समर्थन किया और परिणामस्वरूप उसको लागू करने के लिए आदेश जारी हुआ।

आज संसद में उसके अनुमोदन के लिए प्रस्ताव आया है। सन् १९७५ में कानून के उपयोग और दुरुपयोग की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। अनेक नेता यहां पर विराजमान हैं, माननीय लालू यादव, मुलायम सिंह जी और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर विरोध पक्ष के सभी नेता थे, ये सभी जेलों में बन्द थे। पूरे हिन्दुस्तान को एक जेल बना दिया गया था। यह मैं कानून के दुरुपयोग की बात आपसे कर रहा हूं। इसी तरह कांग्रेस ने लगातार धारा ३५६ का दुरुपयोग करते हुए ९० बार लोकतंत्र की हत्या की है।

जहां वे गोवा में समर्थन की बात करते हैं, वहीं बिहार में उनका दूसरा मापदण्ड है। बिहार में तो कोर्ट ने भी जंगल राज की संज्ञा दी है। वहां नरसंहार हुए। अभी पूर्व में राव साहब बोल रहे थे और उन्होंने अम्बेडकर जी को कोट करके कहा था कि धारा ३५६ का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या दलितों की हत्या होनी चाहिए? क्या एक जाति विशेष का संगठन गांव के गांव उजाड़ दे, नरसंहार कर दे, तो बिहार में ऐसी स्थिति बन गई थी कि वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं रह गई थी। मान्यवर, आज जो गोवा का प्रसंग आया है, वे लोग इसका तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी कह रहे हैं कि बिहार में धारा ३५६ का दुरूपयोग हुआ है। उन लोगों के लिए एक कहावत है- सौ-सौ चूहे खा बिल्ली चली गंगा स्नान को

... (व्यवधान)

बिल्ली चली हज को। ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः कुसमारिया जी आप इधर-उधर बात न करें, अपना भाषण दें।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : जब ऐसा संकट उत्पन्न हो जाए, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाए, लोगों की इज्जत, जान-माल की रक्षा न हो सके। ऐसे समय धारा ३५६ का उपयोग करना उचित है और आडवाणी जी ने इसका उपयोग करके लोकतंत्र की सुरक्षा की है, लोगों की, गोवा के संविधान की सुरक्षा की है। गोवा में नए लोकतंत्र की स्थापना के लिए दरवाजा खोला है, मैं उनको बधाई देता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : उपाध्यक्ष महोदय, गोवा में धारा ३५६ के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। उसकी अनुमति प्राप्त करने के लिए गृह मंत्री जी ने यहां प्रस्ताव रखा है। इस सिलसिले में सदन में अभी बहुत सी बातें हुईं। संसद की गरिमा बनाए रखने की बात भी की गई। संसद की गरिमा को बनाए रखने की हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन धारा ३५६ के तहत प्रजातंत्र की गरिमा को कलंकित करने की जब बात होती है और सत्ता पक्ष के लोग बेफिक्र होकर इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी यह ध्यान में रखना चाहिए।

जहां तक गोवा का सवाल है, गोवा की बात करते-करते बहुत से माननीय सदस्य बिहार की भी बात कर गए। लेकिन बिहार की बात करते-करते वे गुजरात और उत्तर प्रदेश की बात करना भूल गए। सवाल इस बात का आता है कि गोवा में जिस प्रकार की स्थिति पैदा हुई, वहां के अधिकांश विधायकों ने खुद मांग की कि हमारे सदन को बर्खास्त किया जाए और नए चुनाव कराए जाएं, जिसका सम्मान आपने किया। वहां के राज्यपाल महोदय ने आपको निवेदन किया और आपने राष्ट्रपति शासन लागू किया। अब आप उसकी अनुमति प्राप्त करने के लिए यहां आए हैं। बिहार की मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हमारे कुछ मित्रों ने वहां की राजनैतिक स्थिति का जायजा लिया। बिहार में मानवता को कलंकित करने वाला दलितों का नरसंहार किया गया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज जो सरकार केन्द्र में है, यह ठीक है कि बिहार में दलितों को मारा गया। लेकिन केन्द्र सरकार ने दलितों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का आरक्षण जिस प्र ाकार से बंद करने की साजिश की है और उन्हें जिंदा दफन करने की कोशिश की है, उसके बारे में सत्ता पक्ष के लोग क्यों नहीं बोलना चाहते, इस बात का हमें अफसोस है। बिहार में दलितों को मारा गया, और यहां जिंदा दलितों के आरक्षण को नष्ट करके उनके अधिकार से उनको वंचित किया जा रहा है। उसकी बात सत्ता पक्ष के लोग नहीं कर रहे हैं।

आज यह सब बातें करते हुए

... (व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (आंवला): उपाध्यक्ष महोदय, ये आरोप लगा रहे हैं। ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : राजवीर सिंह जी, आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह : उपाध्यक्ष जी, वह आरोप लगा रहे हैं। वह सत्तारूढ़ दल पर आरोप लगा रहे हैं। वह स्पेसिफिक बताएं कि कहां पर हमारी सरकार ने आरक्षण खत्म कर दिया।

... (व्यवधान)

कहां पर दलितों पर हमारी सरकार ने गोलियां चलवा दीं? (व्यवधान)यह गलत बयानी अगर कार्यवाही में जाती है तो देश में लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

... (व्यवधान)

यह स्पेसिफिक चार्ज लगाएं और घटना के हिसाब से बताएं।

... (व्यवधान)

उन प्रदेशों के नाम बताएं।

... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Kawade, please confine yourself to the subject on Goa. All these problems are cropping up only because of it.

PROF JOGENDRA KAWADE : Let me be specific now.

जो पांच ओ.एम. डी.ओ.पी.टी. ने दलितों के आरक्षण के विरोध में निकाले हैं, वे क्या हैं? वह क्या ये लोग जानते नहीं हैं? एस.सी., एस.टी. के रिक्रूटमेंट का स वाल है, उनके प्रमोशन और तबादले का सवाल है, यह क्या कर रहे हैं?

... (व्यवधान)

श्री थावरचन्द गहलोत (शाजापुर): मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। नियम ३५६ के अन्तर्गत मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नियम ३५६ निकालो।

... (Interruptions)

SHRI TAPAN SIKDAR (DUMDUM): Sir, he cannot raise this issue here. This is totally irrelevant to the subject under discussion....(Interruptions)

SHRI THAWAR CHAND GEHLOT (SHAJAPUR): Sir, I am on a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Under what rule are you raising your point of order?

SHRI THAWAR CHAND GEHLOT : It is under Rule 356.

यह असंगत बात कर रहे हैं। नियम ३५६ में यही है और आपको असंगत बात करने से रोकने का अधिकार है। यह जो ऑफिस ज्ञापन जारी हुए हैं, वे १९९६-९७ में जब देवगौड़ा जी और गुजराल जी की सरकार थी, उस समय जारी हुए हैं,

... (व्यवधान)

नौकरियों में प्रमोशन उस समय रोके गए हैं और एस.सी.,एस.टी. आयोग ने गुजराल जी की सरकार और देवगौड़ा जी की सरकार को लिखित में दिया था कि ये प्र मोशन जारी रखे जाएं। ... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not concerning the point of order. There is no point of order. There may be no interruptions from now onwards.

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया (जूनागढ़) : आर्टिकल ३५६ में यही लिखा है, लेकिन यह प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Chikhaliaji, this is not a point of order.

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have already gone through the rule. I am not giving you permission to quote it.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have already given my ruling. Nothing will go on record.

(Interruptions) ...*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ramdas Athawale, please sit down.

... (Interruptions)

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे: मैं केवल इतना ही कहना चाहता था। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन जो सदन में बार-बार बात की गई, मैं केवल उसी सिलसिले में बात कहना चाहता हूं।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप गोआ के बारे में बात कहिए।

... (व्यवधान)

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : जब सारी बातें हो गईं,

... (व्यवधान)

हम इसलिए कहना चाहते हैं,

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कंक्लूड करिए।

... (व्यवधान)

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : जहां दलितों के नरसंहार की बात को लेकर बिहार सरकार को बर्खास्त करने की बात की गई

... (व्यवधान)

यहां पर की गई। ... (व्यवधान) हम यह कहना चाहते हैं कि वहां दलितों का नरसंहार किया गया लेकिन जिंदा दलितों के जीने का जो अधिकार छीना जा रहा है, उसके बारे में यहां पर कोई बात नहीं हो रही है, हम यही कहना चाहते हैं।

जहां तक गोआ का सवाल है, हमारे गृह मंत्री जी द्वारा धारा ३५६ के अंतर्गत पहली बार बिहार की सरकार को बर्खास्त करने संबंधी प्रस्ताव जब राष्ट्रपति जी ने वापस भेजा तो वे तिलमिला गए थे और धारा ३५६ पर राष्ट्रीय बहस की बात कर रहे थे। कह रहे थे कि धारा ३५६ को संविधान से निकाल दिया जाए लेकिन आज डा. बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेकर उसी धारा ३५६ का समर्थन कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि धारा ३५६ के बारे में राष्ट्रीय बहस की बात करने वाले गृह मंत्री जी जो उसका पहले विरोध करते

----

* Not Recorded

थे, राष्ट्रपति जी पर नाराजगी ज़ाहिर करने वाले गृह मंत्री जी आज उसी धारा ३५६ का सहारा लेकर कभी गोआ और कभी बिहार की सरकार को क्यों बर्खास्त कर रहे हैं? एक तरफ नीति की बात होती है लेकिन इनकी नीयत ही साफ नहीं है।

... (व्यवधान)

गोआ में जो

>

कुछ भी हुआ, गोआ के विधायकों ने मांग की थी कि गोआ की सरकार को बर्खास्त किया जाए क्योंकि हम नहीं चाहते कि अगला बजट जो आने वाला है, उसमें हेराफेरी हो। उन्होंने खुद कहा कि 'आ बैल मुझे मार' और इन्होंने बैल भेज दिया और गोआ को मार दिया, ठीक है लेकिन बिहार में क्या हुआ?

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let me control the House.

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : आपने गलत बात कही, तो ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं, तो नहीं चलेगा।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कवाडे जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : अगर दूसरे प्रावधान के तहत कोई नई व्यवस्था बनाकर गोवा की सरकार कायम रह जाती और चीफ मिनिस्टर का सम्मान किया जाता, तो हम केन्द्रीय सरकार को धन्यवाद देते, लेकिन वहां पर वैसा नहीं किया गया। गोवा में धारा ३५६ का लागू कर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। गोवा में जो स्थिति पैदा हुई है, मैं उसका समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि इसके बाद धारा ३५६ का गलत इस्तेमाल न हो।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

>

श्री चेतन चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, गोवा में धारा ३५६ लागू कर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है और वहां की सरकार बर्खास्त की गई, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, पिछले सात महीने में गोवा के अन्दर हालात इस प्रकार के थे कि वहां पर तीन सरकारें बदल गईं और अंत में ३६ विधायकों ने लिख कर दे दिया कि वहां पर किसी की सरकार नहीं चल सकती हैं और नए चुनाव कराने होंगे, जो प्रदेश के हित में होंगे। ४० विधायकों में से ३६ विधायकों ने लिख कर दिया। पिछले तीन मुख्यमंत्री श्री प्रताप सिंह राणे, विलफ्रेड डिसूजा और लुइसिने फलैरो - सरकारों में रहे हैं और बोर्डस के अध्यक्ष रहे हैं। वहां पर चार विधायक भाजपा के हैं, जिनको लाभ नहीं मिला, लेकिन और जितने भी विधायक थे, उनको लाभ मिला। यह लड़ाई कांग्रेस की अंदरूणी लड़ाई थी और लड़ाई थी, कांग्रेस सोनिया और कांग्रेस राजीव। मैं यहां पर यह जरूर कहना चाहूगा कि यह लड़ाई जुलाई में शुरू हुई और जनवरी में समाप्त हुई। यहां आपत्तिजनक बात यह थी कि लगभग दस विधायक जो कांग्रेस के थे, उनको स्पीकर ने डिसख्वालिफाई कर दिया, लेकिन बाद में हाई कोर्ट के द्वारा वे बहाल हो गए। उसके बाद परिस्थिति में परिवर्तन हुआ और तीन बार परिवर्तन हुआ। वहां की राजनीति इस प्रकार की हो गई थी और कुछ समाचार पत्रों में लिखा गया - गोवा में राजनीति, मदारी का खेल। पहली स्थिति में विधान सभा में सिलैंडर मैजोरिटी थी। ४० विधायकों में सरकार की तरफ २१ विधायक थे और विपक्ष में १९ विधायक थे। सिर्फ एक विधायक की स्थिति की वजह से सरकार की मैजोरिटी बनी थी। मैं कहना चाहता हूं कि छोटी-छोटी विधानसभाओं में जहां पर सिलैंडर मैजोरिटी होती है, वहां पर यह परेशानी आ रही है। मुख्य परेशानी यह है कि पहले स्थिति का लाभ और फिर पैसे का लेन-देन।

यह बहुत बड़ी समस्या बनती चली जा रही है और उसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि पार्लियामेंट के अंदर ही नहीं बल्कि जो भी छोटी-छोटी विधानसभाएं हैं वहां जिस प्रकार दल-बदल हो रहा है, जैसे गोआ में हुआ, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार पैसे दिए जाते हैं, पदों का प्रलोभन दिया जाता है और दल-बदल हो रहा है इस बारे में भी चर्चा करने की बहुत आवश्यकता है। धारा ३५६ की बात जो कही गई है, भारतीय जनता पार्टी ने शुरु से ही कहा है कि हम धारा ३५६ के खिलाफ है लेकिन गोआ में स्थिति इस प्रकार की हो गई थी कि वहां सिवाय राष्ट्रपति शासन लागू करने के कोई चारा नहीं बचा था। वहां कोई भी और व्यवस्था नहीं हो सकती थी इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। मैं समझता हूं कि जब ३६ ि

वधायक लिख कर दे दें और जनता की भी यही मांग है तो उसी के अनुरूप वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए गोआ में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है उसका समर्थन करता हूं।

>

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है लेकिन मैं संक्षेप में ही अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। गोआ में जहां तक धारा ३५६ का सवाल है, गोआ विधानसभा के विधायकों ने स्वतः मांग की है कि हम सरकार चलाने में असमर्थ हैं, हमारे यहां राष्ट्रपति शासन लागू करवा कर चुनाव कराए जाएं।

महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि धारा ३५६ का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए लेकिन धारा ३५६ को रखना अनिवार्य भी है। सबसे बड़ी कठिनाई यह हो रही है कि जो छोटे-छोटे दल हैं वे अपने स्वार्थवश दल-बदल करके, सत्ता की भूख की वजह से आए-दिन सरकार बनाते-बिगाड़ते रहते हैं। अगर सचमुच में आप स्वस्थ परम्परा चाहते हैं तो जो दल-बदल विधेयक बना है उसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिए और सीधी बात होनी चाहिए कि जो सदस्य जिस दल से चुन कर आया है अगर वह दल बदलता है तो उसकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो इस तरह की बीमारियां होती रहेंगी।

महोदय, इस सदन में हमने भी देखा कि अपार पीड़ा हुई। आज जो सदन की गरिमा को लोग देख रहे हैं उसे कहने में भी तकलीफ होती है कि यह सदन मुद्दत से चलता आ रहा है लेकिन आज इसकी क्या दशा है- 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे।' अपोजिशन में बैठे हुए जो हमारे सम्मानित मुख्य मंत्रीगण हैं, बड़े-बड़े मंत्री रहे हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, वे केवल दूसरों को ही नसीहत देंगे या अपने को भी देंगे। मैं लालू जी और मुलायम सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं। यह बात सही है कि जब लालू जी बोलने लगते हैं तो जिसकी इच्छा नहीं होती वह भी देखने आता है कि कैसी भाषा बोल रहे हैं, उत्सुकता हो जाती है। लालू जी ने कल भी कहा था, उन्होंने अपने को कृष्ण कहा था। मैं लालू जी से निवेदन कर रहा हूं कि वह कृष्ण जी का अध्ययन करें। कृष्ण जी साधू-संतों और गुरूओं की सेवा करते थे और जो कंस था वह साधू-संतों की हत्या करता था, उनका उत्पीड़न करता था। उन दोनों में जरा फर्क करके देखो कि आप किधर जा रहे हैं। कृष्ण की तरह से संतों की रक्षा कर रहे हैं या कंस की तरह से वध कर रहे हैं, यह अपने मन में सोच लें। जहां तक भारतीय परम्परा का सवाल है- जनेऊ का अपमान करना, शिखा का अपमान करना, किसी जाति का अपमान करना ऐसे महान लोगों का काम नहीं है। हमें वह दिन याद है जब वह हमारी सरहद पर आए थे। उस समय लालू जी मुख्य मंत्री थे और वह भाषण दे रहे थे। कहते हैं कि इन्होंने वहा भी शंख बजाया, ब्राहमण की निन्दा की और यह कहा कि भूरे बाल समाप्त करो। भू का मतलब भूमिहार है, र का मतलब रातुर है, बा का मतलब ब्राहम्ण है और ल का मतलब लाला है। 'भूरे बाल समाप्त करो,' यह मामला सदन में भी आया था।

क्या यह सच बात है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सचमुच में अगर आप कृष्ण-वंशज अपने को कहते हैं तो क्या गीता पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि आपने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए थे।

श्री लालू प्रसाद : मिश्र जी, मैं आपका आदर करता हूं। हमारे विरोधियों ने, रणवीर सेना के लोगों ने यह प्रचार किया कि मुख्यमंत्री लालू यादव बेगूसराय में बोले कि 'भूरा बाल साफ करो' और फिर यही विस्तार से प्रचार भी किया। मैंने मुकदमा किया, मैंने चुनौती दिया कि मैंने कहीं कोई ऐसी टीका नहीं की। ... (व्यवधान) गीता तो लिखी हुई किताब है, मैं हृदय से कहता हूं कि हमने ऐसा नहीं कहा था। लेकिन बी.जे.पी. के गोविंदाचार्य जी ने जो कहा कि ललूआ-राबड़ी जंगल राज को खत्म करो - यह प्रसारित हुआ था। उसमें बिहार की भूमिहार जाति के विषय में जो लिखा, जिसपर कामेश्वर पासवान, ताराचंद झा, जनार्दन यादव और चौबे जी एम.एल.ए. ने एतराज किया था और कहा था कि गोविंदाचार्य को हटाओ। तो गोविंदाचार्य जी तो रह गये।

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया : गोविंदाचार्य जी के बारे में आप क्यों कह रहे हैं, वे तो जवाब देने के लिए यहां नहीं है।

श्री लालू प्रसाद : माफ कीजिए, आप पूजा के योग्य हैं, यहां के योग्य

...(व्यवधान)

तो वहां से निकाल दिया गया। जनार्दन यादव और चौबे जी तो आपके एम.पी. हैं। उनको शो-कॉज किया गया। किताब मैं पढ़कर कल आपको सुनाऊंगा कि मैं क्या बोलता हूं और आप क्या बोलते हैं।

श्री राजवीर सिंह : आपने जिनके बारे में कहा है वे सदन के सदस्य नहीं हैं और वे आपको जवाब नहीं दे सकते हैं। आपने उनके नाम कोट किए हैं। क्या यह मुनासिब बात है? जितने भी नाम इन्होंने यहां लिए हैं उनको कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई ऑब्जेक्शनेबल बात होगी तो हम निकाल देंगे।

श्री राम नगीना मिश्र : उपाध्यक्ष जी, यह परम्परा कायम की जाए कि सबकी मर्यादा की रक्षा हो। भगवान सदबुद्धि दे। यह बात सच है कि हमारे लालू जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आने से पहले के केसेज हैं जिन पर उन्हें जेल यात्रा करनी पड़ी। चारा घोटाले का जो मामला है वह इस सरकार से पहले का है। वह पहले से चल रहा है। अगर आप अदालत का सम्मान करते हैं तो अदालत ने ही आपको जेल भेजा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपको जेल नहीं भेजा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इधर देखकर एड्रेस कीजिए, उधर देखकर नहीं।

श्री राम नगीना मिश्र : मैं सदन में हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं। जैसा कि एक कवि ने कहा है 'बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खलके वचन संत सहे जैसे'।

आप हमारी परम्परा के प्रतीक हैं। कम से कम आज जो दृश्य बना है वह भविष्य में न बने, यह मैं हाथ जोड़कर सब लोगों से प्रार्थना करता हूं।

गोवा के प्रश्न पर मैं बोलने के लिए खड़ा हूं तो गोवा में राष्ट्रपति शासन जबर्दस्ती नहीं लगाया गया है। मैं बिहार का नाम नहीं ले रहा हूं। अगर हमारा दल उस पर बोलने के लिए कल हमें मौका देगा तो उस पर भी हम जरूर बोलेंगे। गोवा में राष्ट्रपति शासन अनिवार्य था। हमारे कांग्रेस को लोगों ने ४०-४५ साल तक देश पर शासन किया है और आज भी शासन के इच्छुक हैं। वे बुद्धिजीवी हैं। देश में अब भावना बन रही है कि राजसत्ता में या तो बी.जे.पी. रहेगी या कांग्रेस पार्टी रहेगी, तीसरा दल रहने वाला नहीं है। लोगों ने यह मन बना लिया है। मैं कांग्रेस के लोगों से यह निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा नियम बनाइये कि अगर आप भी शासन में आएं तो आपको भी ऐसा कुछ झेलना न पड़े। एक बार आप कहते हैं कि यह सरकार रहने के काबिल नहीं है लेकिन जब सरकार बर्खास्त हो जाती है तो कहते हैं कि नहीं, हमने गलती से कह दिया, यह सरकार रहने के काबिल है। इसलिए मैं इन लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि भविष्य को देखते हुए ऐसे हथकंडे न अपनाए जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी (बांदा): उपाध्यक्ष महोदय, गोवा में धारा ३५६ के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। संविधान निर्माताओं ने काफी विचार-विमर्श के बाद धारा ३५६ को संविधान में जोड़ा था। इस देश में कांग्रेसी सरकारों ने इसकी केरल से शुरुआत करके ५० वर्षों के लोकतंत्र के इतिहास में १११ में से १०० बार धारा ३५६ का दुरुपयोग किया। हम धारा ३५६ के दुरुपयोग के विरोधी हैं। गोवा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी और कोई सरकार बन नहीं सकती थी। वहां के सम्मानित विधायकों ने स्वयं मांग की कि यहां सरकार चल नहीं सकती, इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। वहां धारा ३५६ का जो प्रयोग हुआ, मैं उसका समर्थन करता हूं। जैसा हमारे साथी राम नगीना जी ने कहा कि दल-बदल के लिए बहस की आ वश्यकता है और अगर कोई दल बदले, उसकी जब तक सदस्यता समाप्त नहीं होगी, तब तक इसका निदान नहीं हो सकता, मैं उसमें अपनी बात को भी जोड़ता हूं। मैं उनकी इस भावना से अपने को सम्बध्द करता हूं। दलबदल के कारण धारा के उपयोग की आवश्यकता पहली है।

इन्हीं शब्दों के साथ सरकार ने धारा ३५६ का प्रयोग करके गोवा में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

>

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : उपाध्यक्ष जी, गोवा पर बोलने का जो मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। अभी बहुत से सम्मानित सदस्यों ने धारा ३५६ के बारे में विस्तार से अपनी बातें कही हैं। यह बात सत्य है कि जनता द्वारा चुनी सरकार जिन्हें वह वोट देती है, उनके बारे में वह सोचती है कि वह सरकार पांच साल चलेगी। जनता को विश्वास होता है कि चुनी हुई सरकार हमारे हितों की रक्षा करेगी। धारा ३५६ किस लिए बनाया गया था, उसमें बहुत सी बातों का उल्लेख किया गया है। धारा ३५६ का वहां उपयोग होना चाहिए, जहां सत्यता हो। यह बात सच है कि वहां के तमाम दलों ने इस पर अपनी मोहर लगायी थी। जहां तक अन्य प्रदेशों की बात है, उसमें अभी बिहार की भी बात आई कि वहां धारा ३५६ लगा कर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। धारा ३५६ में बहुत से ऐसे कानून हैं जो अन्य प्रदेशों पर लागू होते हैं। इस प्रकार की परम्परा चली तो धारा ३५६ का दुरुपयोग हमेशा होता रहेगा।

मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए तमाम सम्मानित सदस्यों ने जो बातें कही हैं, उससे अपने को जोड़ते हुए गोवा में राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी जो अनुमति गृह मंत्री जी ने मांगी है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

>

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया (जूनागढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, गोवा में धारा ३५६ के अधीन जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, उससे संबंधित प्र स्ताव गृह मंत्री द्वारा हाउस में लाया गया है। मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। किसी भी विधान सभा के अधिकतर सदस्य अगर यह मानते हैं कि यह सरकार नहीं चल सकती तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। गोवा में ४० विधायकों ने कहा कि यह सरकार नहीं चल सकती। इसी आधार पर गोवा में धारा ३५६ लगाने संबंधी प्रस्ताव लाया गया।

लालू जी ने गुजरात के बारे में जिक्र किया। मैं उसका यहां जवाब देना चाहती हूं। कांग्रेस के शासन में ५० सालों के दरम्यान ९० बार इस धारा का उपयोग या दुरुपयोग किया गया।

गुजरात में तो सरासर इस धारा का दुरुपयोग किया गया था क्योंकि उस समय हाउस में भाजपा का बहुमत था लेकिन कांग्रेस ने धारा ३५६ का दुरुपयोग करके वहां राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया। इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि भाजपा धारा ३५६ की विरोधी नहीं है लेकिन इसका दुरुपयोग करना गलत मानती है। इसलिये इस आधार पर हमारी एक बहिन ने कहा था कि हमें इस हाउस में, चाहे महिला हो या पुरुष हो,उसे बोलने का अधिकार है। सदस्य कुछ भी कह सकता है। श्रीमती राबड़ी देवी महिला हैं या नहीं? मैं इस संदर्भ में कहना चाहती हूं कि इन्दिरा जी ने इस देश पर शासन किया लेकिन जनता ने उसे हटाया था क्योंकि जब महिला अच्छा शासन नहीं कर सकती तो कोई भी उसका विरोध कर सकता है। बिहार में यही हुआ है। अगर कोई महिला हो या पुरुष हो, यदि ठीक शासन नही चला सकता है तो उसे हटना होगा। इसलिये धारा ३५६ का उपयोग जरूरी है। जब गोवा में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रस्ताव है तो उसका समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करती हूं।

SHRI P.R. KUMARMANGALAM : I think, it will also be relevant to inform the hon. Members that as decided in the BAC, we will have holidays on the 1st March and on the 3rd March in order that the hon. Members of Parliament can celebrate Holi. ... (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR (BARAMATI): 3rd March also? ... (Interruptions)

SHRI P.R. KUMARAMANGALAM: We are having a holiday on the 3rd March also because a number of Members have requested for it. I think, I should clarify it. It is for adoption. It is not final. It is a proposal from my side because a number of Members of Parliament have requested for it. The hon. Leader of the Opposition would recollect that the basic thinking was that we should have non-controversial business on the 3rd March. ... (Interruptions)

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : ३ तारीख को नहीं आ सकते, हमारे बिहार में होली नहीं, होला होता है।

श्री पी.आर.कुमारमंगलमः इसलिये हिन्दी में कह रहा हूं कि हाउस की पहली और तीन तारीख को छुट्टी रहेगी। कृपया ४ तारीख को आप सब आ जायें।

DR. ASIM BALA (NABADWIP): What about the Questions listed on those days? Will they be taken up on some other day? ... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No.

... (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD): That is not the practice. ... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the hon. Home Minister will reply to the discussion on the Statutory Resolution.

17.38 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE: APPROVAL OF PROCLAMATION

BY PRESIDENT IN RELATION TO THE STATE OF GOA - Contd.

*m21

ग़ृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे द्वारा प्रस्तुत गोवा के संबंध के प्रस्ताव पर अपने ि वचार व्यक्त किये हैं। स्वाभाविक रूप से जो भी बहस होती है तो बहस आरम्भ करने वाला आलोचना, मतभेद किस किस ने व्यक्त की, कहां की, इस ओर ध्यान देता है और मैं आरम्भ से लेकर अंत सभी बातें सुनता रहा हूं। मैंने सुना कि वे मतभेद या आलोचना हमारी सरकार के बारे में या धारा ३५६ के बारे में या बिहार के संदर्भ में थी। मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया, शायद उस बारे में कोई मतभेद नहीं किया गया। लगभग सभी सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया कि गोवा में जैसी परिस्थिति पैदा हुई और जिस समय वहां स्थिर सरकार बनने की कोई संभावना नहीं रही, स्वयं ४० में से ३८ सदस्यों ने आकर कह दिया कि इस विधानसभा का कार्यकाल समाप्त किया जाये और राष्ट्रपति शासन लागू करके नये चुनाव की व्यवस्था की जाये। साधारणतया ऐसा कहीं नहीं होता और इस कारण यह सर्वथा निर्विवाद प्रस्ताव है।

इस पर कोई विवाद वास्तव में नहीं है। इसीलिए उस प्रस्ताव के बारे में मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं सिवाय इसके कि मोहन सिंह जी ने इस बात का ज़िक्र किया कि वहां पर जो अस्थिरता पैदा हुई वह केन्द्रीय सरकार ने पैदा की। वैसे साधारणतः मोहन सिंह जी बहुत नपी-तुली भाषा में बोलते हैं, ढंग से तर्कपू र्वक अपनी बात करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा, मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने कहीं उसका विस्तार भी नहीं किया जबकि वस्तुस्थिति यह है कि वहां पर अगर तीन बार सरकार डीस्टैबिलाइज़ हुई, अस्थिर हुई तो उसका कारण कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विवाद था। केन्द्रीय सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं। इतना ही नहीं, आज के अवसर पर क्योंकि राज्यपाल का कहीं थोड़ा बहुत उल्लेख आया था और वह उल्लेख प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं उन पर टिप्पणी न हो तो मैं कहना चाहूंगा कि मैंने जिस प्रकार से उनके कार्यकाल को देखा, उनकी सारी रिपोर्टस पढ़ीं, मैं मानता हूं कि राज्यपाल की भूमिका इस सारे संदर्भ में जब वहां पर इतनी अस्थिरता हुई बिल्कुल इंपैकेबल थी, निर्दोष थी। उसमें कोई दोष नहीं निकाल सकता। सर्वथा शुद्ध संविधान सम्मत, संविधान के अनुसार थी।

इसलिए वहां पर सब लोगों ने जैसा कहा वैसा उन्होंने किया। अगर कहीं पर अस्थिरता आई तो हमेशा इस बात पर आग्रह किया कि इसका निर्णय सदन के पटल पर होना चाहिए। आपने मुझे चाहे हस्ताक्षर करके दे दिये मैं हस्ताक्षर के आधार पर राज भवन में निर्णय नहीं करूंगा, सभा पटल पर करूंगा। आखिर में भी जब मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिये, तब भी उन्होंने मुख्य मंत्री को कहा कि आप प्रमाणित करिये वहां जाकर कि आपके पास बहुमत है और उन्होंने स्वयं आकर त्यागपत्र दिया। इसीलिए कहीं-कहीं पर इस बात का ज़िक्र हुआ कि गोवा की सरकार आपने बर्खास्त कर दी, केन्द्र सरकार ने किसी सरकार को बर्खास्त नहीं किया। इस संदर्भ में तो वहां कोई सरकार ही नहीं थी। एक सरकार जो थी, उस सरकार ने स्वयं त्यागपत्र दिया और न केवल त्यागपत्र दिया बल्कि अपनी पार्टी का, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का एक सर्वसम्मत प्रस्ताव भी उनको दिया, अपने मंत्रिमंडल का भी प्रस्ताव दिया कि आप हाउस को डिज़ॉल्व करिये और चुनाव करवाइए। उनका अभिप्राय शायद यह होगा कि गवर्नर ही करें लेकिन गवर्नर को लगा कि मैं करूं उसके बजाय राष्ट्रपति शासन के अधीन चुनाव हो तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन उसके आधार पर यह निर्णय हुआ है और आप सब लोगों ने उसका समर्थन किया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

एक बात ज़रूर कहूंगा क्योंकि कई वक्ताओं ने इसी संदर्भ में इस बात का ज़िक्र किया कि दल-बदल कानून के बाद अनेक स्थानों पर अध्यक्ष की भूमिका विवाद का विषय बन जाती है। अध्यक्ष ने जो निर्णय किया वह सही है या गलत है इस बारे में चर्चा होती है और इस बार यहां गोवा में अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दी गई और उच्च न्यायालय ने उनके निर्णय को अवैध ठहराया। उसके आधार पर कुछ निर्णय हुए। मैं स्मरण कराना चाहूंगा कि एक बार लोक सभा के अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल ने इस बात पर लंबी-चौड़ी चर्चा की थी सभी दलों से और उन्होंने स्पीकर्स कॉनफ्रेन्स की एक बैठक विशेष रूप से इस दृष्टि से बुलाई थी कि यह जो दल-बदल विरोधी कानून बना है, वह कानून मूलतः सिद्धांत में अच्छा है, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन हुआ है, उस क्रियान्वयन के दौरान कई कमियां और दोष भी उजागर हुए हैं, इसलिए उन पर विचार करना चाहिए। एक समय पर तो हमें लगा जैसे दलों के बीच में आम सहमति बन गई कि क्या-क्या परिवर्तन होने चाहिए और उस समय की सरकार ने इस बात को भी माना कि यहां पर जो विचार व्यक्त किये गए हैं उनके प्रकाश में हम दल-बदल विरोधी कानून में एक संशोधन भी लाएंगे, लेकिन वह चीज़ आगे नहीं बढ़ी। आज क्योंकि गोवा की परिस्थिति के संदर्भ में अनेक सदस्यों ने इस बात का ज़िक्र किया है, मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष जी इस मामले में पहल करें।

क्योंकि ये सारे कानून ऐसे हैं, संविधान का कोई भी कानून हो, मैं कहता हूं संविधान का ही क्यों साधारण कानून भी आज की हमारी संसद की स्थिति में पारित तब हो सकेगा, जब उसमें आम सहमति बनेगी और आम सहमति इस विषय पर बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसा एक सदस्य ने कहा कि इसके कारण अध्यक्ष की भूमिका पर ही विवाद हो जाता है

Is he playing a partisan role?

इसलिए मैं कभी-कभी सोचता हूं कि सचमुच इस कानून में अध्यक्ष को निर्णायक न बनाकर, जिस प्रकार संविधान में लिखा हुआ है कि अगर कहीं पर भी किसी सांसद की डिसक्वालिफिकेशन का सवाल खड़ा होता है तो डिसक्वालिफिकेशन का निर्णय राष्ट्रपति इलैक्शन कमीशन की सलाह से करता है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से नहीं करता है, वह इलैक्शन कमीशन की सलाह से निर्णय करता है। ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसाकोई परिवर्तन दलबदल कानून में लाना भी शायद उपयुक्त होगा, लेकिन यह देखने की बात है। उसी प्रकार से लोग इस पर टिप्पणी करते हैं

Defection in the singular is an offence. But defection in the plural, provided it is an adequate plural, is not an offence!

यानी जो स्पलिट की व्यवस्था है, वह ठीक है या नहीं, इस बारे में कुछ पुनर्विचार की जरूरत है और इसलिए कई सारे लोग कहते हैं कि रिटेल में वह गुनाह है, थोक में नहीं है। लेकिन स्पलिट का अपना रैशनेल है, मैं यह नहीं कहता कि वह बिल्कुल बेकार है। लेकिन रैशनेल होते हुए भी कुल मिलाकर यह बात सही है कि दलबदल जो पिछले दिनों में होता रहा है, उसमें स्पलिट का प्रावधान बहुत बड़ा सहायक बनता है। इसीलिए इन बातों पर विचार करने के लिए अगर इनीशिएटिव चेयर या स्पीकर की ओर से लिया जाए और जो पहले सारी बहस हुई है उसको आगे बढ़ाया जाए तो मुझे लगता है कि वह अच्छा होगा। जहां तक इस मोशन का सवाल है, सिवाय आप सभी सदस्यों और पार्टियों का धन्यवाद करने के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं कहना है, चूंकि आपने सर्वसम्मति से इसका अनुमोदन किया है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is :

"That this House approves the Proclamation issued by the President on the l0th February, l999 under article 356 of the Constitution in relation to the State of Goa."

The motion was adopted.

THE MINISTER OF POWER, MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): Mr. Deputy Speaker, may I request that in the light of the fact that I have spoken to most of the Members and the leaders of the parties as far as possible I could consult, they felt that we should really start the debate on the Resolution on Bihar tomorrow because many people waited for a very long time and were very tired?

So, since at the moment on the List of Business the Resolution about Bihar is the next item -- it will be advisable as we have reached nearly six o'clock -- with the consent of the House may I propose that we adjourn now to meet tomorrow at ll a.m.?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is it the consent of the House that we adjourn now?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet on the 25th February, l999 at ll a.m.

1749 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on

Thursday, February 25, l999/Phalguna 6, l920(Saka).

>